भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल बैठक

27–30 मई, 2007

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियो,

बंगलौर में 17–21 जनवरी 2007 को सम्पन्न हुई सीटू के 12वें महाअधिवेशन के बाद नव निर्वाचित जनरल कौंसिल सफल महाधिवेशन द्वारा सौपी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यहाँ मिल रही है। हमारे कन्धों पर बहुत महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की जिम्मेदारी है जिसे हम बहुत असरदार ढ़ग से तभी पूरा कर सकते है, जब हम अपने संगठन को मजबूत करते हुए काम करने के तरीकों में आवश्यक सुधार करेंगें।

ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, 12वें महाअधिवेशन द्वारा पुनः निर्वाचित हमारे महासचिव का० चित्तब्रत मजूमदार महाधिवेशन के एक माह के अन्दर ही हमें छोड़ गए। हालाँकि उनका स्वास्थय अच्छा तो नहीं था परन्तु हमने स्वप्न भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में हमें छोड़ जाऐगें। भारतीय ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के अप्रतिम नेता के अचानक निधन का समाचार सुनकर सीटू के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं बहुत गहरा सदमा लगा। अगले महाधिवेशन तक सीटू की सदस्यंता को 50 लाख पहुँचाने के उनके आव्हान् को उनकी अन्तिम इच्छा मानकर और उनके द्वारा छोड़े गए इस अधूरें काम को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का हर संभव प्रयास करने का हमें संकल्प लेना होगा। मजदूर वर्ग में बुर्जुआ विचारों की घुसपैठ के विरूद्ध संघर्ष करने और समाजवाद को हासिल करने की उनकी दृढ़ इच्छा, हमें अपने रोजमर्रा के काम के दौरान प्रेरणा देती रहेगी।

जनरल कौंसिल की इस मीटिंग में अपने भाषण में सबसे पहले इस दौरान अंतराष्ट्रीय हालात पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

इराक में अमरीका की खूंखार नीति

इराक में अमरीकी साम्राज्यवाद की खूंरेजी कारगुजारियों के बारे में कोई ठीक–ठीक जानकारी न मिल पाने के बावजूद भी, आश्चर्यजनक है कि यह प्रतिरोध इराकी अवाम के मुक्ति संघर्ष को कुचल नहीं पाया है। 3000 से अधिक अमरीकी सैनिकों ने इराकी युद्ध में अपनी जान गवाँयी है, जिसके कारण अमरीकी जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया है। इराक से अमरीकी सेना की वापसी की माँग करते हुए, वर्ष 2006 में ही अमरीका में 600 से अधिक मीटिंग एवं प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।

इसके बावजूद भी राष्ट्रपति बुश ने स्थिति की गम्भीरता को समझने के बजाय, इराकी जनता के प्रतिरोध को कुचलनें के लिए, 14 फरवरी को और अधिक सेना भेजने और करोड़ों डालर झौंकने की घोषणा की है। अमरीकी बजट आंकलन के अनुसार अमरीकी साम्राज्यवादियों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान इराक और अफगानिस्तान में युद्ध पर लगभग 75000 करोड़ अमरीकी डालर खर्च कर दिए हैं।

मार्च 2007 में छपी ''इराकी शरणार्थी और आंतरिक विस्थपित : एक गहराता मानवीय संकट'' नामक एक अमरीकी काँग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक लगभग 40 लाख इराकी अथवा 13 प्रतिशत इराकी जनता शरणार्थी बन चुकी है।

बगदाद शहर में शिया और सुन्नी जनता को अलग करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर लम्बी एक दीवाल को निर्माण करना अमरीकी साम्राज्यवाद की "फूट डालो और राज करो" की नीति को उजागर करता है। जनता के शिया और सुन्नी दोनों वर्गों ने अमरीका की इस घ्रणित चाल का जोरदार विरोध किया है, जो इराक में अमरीकी सेनाओं के खिलाफ गहरे होते विरोध को दर्शाता है। अमरीकी फौजों की मौजूदगी जारी रहने के खिलाफ नजफ शहर में 9 अप्रेल को कट्टरवादी शिया संगठन "मुक्तदा–अल–सद्र के नेतृत्व में 10 लाख से अधिक लोगों का प्रदर्शन आयोजित किया गया। मीटिंग में इराकी सेनाओं से, अमरीकी आधिपत्य के खिलाफ खुलकर सामने आने की अपील की गयी है। इराकी को तोड़कर और जनता को शिया, सुन्नी और कुर्दों में बाँटकर कुद्रिस्तान बनाने की साजिश को अमरीका समर्थन के खिलाफ इराकी जनता का प्रतिरोध दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। अमरीकी नीतियों का ऐसा दिवालियापन पहले कभी देखने को नही मिला है। इराकी संसद के अनेको सदस्यों द्वारा अमरीकी सेनाओं की इराक से वापसी की जोरदार माँग की जा रही है।

इस मसले पर राष्ट्रपति बुश के अलग थलग पड़ जाना इस बात से जाहिर हो जाता है कि अमरीकी सिनेट ने इराक से अमरीकी सेनाओं की वापसी की अन्तिम तारीख मार्च 2008 तय कर दी है और कहा है कि सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया अक्टूबर 2007 से आरम्भ हो जानी चाहिए। जैसे यह भी काफी नहीं है, सी.आई.ए. के पूर्व डायरेक्टर जार्ज टेनेट द्वारा लिखित और पिछले ही माह में प्रकाशित हुई पुस्तक "एट दी सेन्टर ऑफ स्औमं" में कहा गया है कि 11 सितम्बर 2001 को अमरीका पर हुए आतंकी हमले से भी पहले ही बुश सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंकने पर उतारू था।

न्यू इण्डियन एक्सप्रेस में 13 मई 2007 को छपी रिपोर्ट जिसमें अमरीकी सरकार के लेखा विभाग के अनुसार लगभग रोजाना ही औसतन एक से तीन लाख बैरल तेल मार्च 2003 अर्थात् पिछले 4 साल से गायब हो रहा है। इस घपले का मूल्य लगभग 50 लाख से 150 लाख अमरीकी डालर बैठता है। यह रिपोर्ट स्पष्ट दर्शाती है कि इराक में अनेको बैरल तेल की चोरी हो रही है। इराक में अमरीकी साम्राज्यवाद की भूमिका का खुलासा सरकारी रिपोर्ट से ही साफ हो जाता है।

इरान में अमरीका की असफलता

इराक में अपनी असफलता से कोई सबक हासिल करने के बजाय बुश प्रशासन इरान में भी एक और कुकृत्य करने की योजना बना रहा है। इरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के तर्क पर अमरीका फरवरी के दूसरे हफ्ते में तीसरा विमान वाहक जहाज भेज चुका है। इराक में एक अमरीकी डिप्लोमैट के अपहरण को भी इरान पर हमला करने का हथियार बनाने का प्रयास किया गया। अंतराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी (आई.ए.ई.ए.) के द्वारा इरान में यूरेनियम संवधन कार्यक्रम के शस्त्रीकरण से न जुड़े होने का कोई सबूत न पाऐ जाने की रिपोर्ट की भी बुश प्रशासन अनदेखी कर रहा है।

चीन और रूस के भारी विरोध के कारण अमरीका का यह खूनी खेल सफल होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति बुश द्वारा उठाऐ जा रहे इन कदमों का विरोध स्वयं अमरीका के कुछ एक सहयोगी देश भी कर रहे हैं। अमरीका की नेशनल सिक्यूरिटी कौसिल ने भी महसूस किया है कि इरान में युद्ध से अमरीका कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि युद्ध से इस क्षेत्र में अमरीकी हितों के विरूद्ध प्रभावशाली प्रतिक्रिया ही होगी।

इरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का बातचीत के जरिए शान्तिपूर्ण हल निकालने के लिए स्वयं अमरीका में दबाव बढ़ रहा है। अमरीकी प्रशासन को इरान के साथ वार्ता करने के लिए मजबूर किया गया है।

भारी सैन्य शक्ति होने के बावजूद भी अमरीका इजराईल के साथ मिलकर इरान के विरूद्ध हमला करने की नीति का पालन नहीं कर सकता है। इरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते सहयोग से भी पश्चिमी एशिया में अमरीका के खेल को भारी झटका लगा है।

साथ ही साथ जार्ज बुश की हाँ में हाँ मिलाने वाला टोनी ब्लेयर अपने ही देश में अलोकप्रिय हो गया है। एक रायशुमारी के अनुसार 2007 के दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी पिछले 20 वर्षों में लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर

पर रही है। इराक युद्ध को आँख मूदकर समर्थन करने के लिए और लेबर पार्टी के लिए धन प्राप्त करने जैसे अनेक घोटालों में लिप्त पाए जाने के लिए टोनी ब्लेयर की इग्लैण्ड में भरी आलोचना हुई है।

अन्ततः वह पदच्युत होने के लिए मजबूर हुआ है, फिर भी यह शंकाग्रस्त ही है कि क्या इराक पर नीति में कोई विशेष अन्तर आएगा?

लैटिन अमरीका में साम्राज्यवाद विरोध की नयी लहर

लैटिन अमरीकी देशों में अपने खोए विश्वास को पुनः हासिल करने के इरादे से मार्च में राष्ट्रपति बुश ने कुछ लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा की है। लेकिन उसकी हमलावर नीतियों के खिलाफ भारी जन विरोध से हर जगह पर उसका स्वागत हुआ है। बुश की असफल यात्रा के बाद ही वैनेजुएला के राष्ट्रपति हयूगो सावेज ने यात्रा की, जहाँ उनका स्वागत भारी जन सैलाब ने किया, जो लैटिन अमरीकी जनता के साम्राज्यवाद विरोधी राय को जाहिर करता है। सावेज ने वैनेजुएला में समाजवाद का निर्माण करने और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के संकल्प की घोषणा की है।

अमरीका के बोलीवियाई विकल्प का 5वाँ सम्मेलन 28–29 अप्रेल को कराकास (वैनेजुएला) में सम्पन्न हुआ है, जिसमें बोलीविया, निकारागुआ, क्यूबा, हैती और वैनेजुएला के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। और इक्वाडोर, उरूग्वे, डोमिनी, सेन्ट विसेन्ट तथा ग्रेनेडा के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। होन्डुरास, पेरू, चिली, अल सल्वाडोर तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने अन्तिम कार्यक्रम में भाग लेकर सम्मेलन को सही मायनों में लैटिन अमरीकी जनता की आवाज बना दिया।

सम्मेलन में लैटिन अमरीकी देशों की एकता से सम्बन्धित अनेकों समझौते हुए। इस सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, व्यापार, भोजन, संचार, उद्योग, यातायात और ऊर्जा से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किए गए।

इस सम्मेलन ने अमरीकी साम्राज्यवादी नीतियों की निन्दा करते हुए लैटिन अमरीकी जनता का आव्हान किया है कि वे इन घातक नीतियों के विरूद्ध उठ खड़े हों। यह लैटिन अमरीकी महाद्वीप में अमरीकी साम्रज्यवाद विरोधी बड़े भारी जन आन्दोलन को दर्शाता है।

अमरीका को रूस की चेतावनी

रूस और अमरीका के सम्बन्धों में लगातार बढ़ता गतिरोध अभी पिछले दिनों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। शीत युद्ध के न होने के बावजूद भी नाटो का विस्तार, सी.आई.एस. देशों के आन्तरिक मामलों में अमरीकी दखलन्दाजी और सीमा पर मिसाईल रक्षा प्रणाली का विकास ने रूसी नेतृत्व के दिमाग में गहरी चिन्ता पैदा कर दी है। हम ने देखा है कि शंघाई क्लब एक धुव्रीय दुनियाँ कायम करने के अमरीकी प्रयासों का मुकाबला करने के लिए किस तरह एक रणनीतिक महत्व का बन गया है।

पश्चिम एशिया में अपनी ही तरह का लोकतंत्र कायम करने के अमरीकी प्रयासों ने हालात कितने बिगाड़ दिए हैं। इस वर्ष फरवरी में म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिर पुतिन को अमरीका की घातक नीतियों को थोपे जाने के प्रयासों के विरूद्ध अपनी राय जाहिर करने का अवसर मिला। उन्होने कहा '' एक धुव्रीय दुनियाँ का क्या अर्थ है। कोई चाहे जिस ढ़ंग से भी इस पर खूबसूरती का मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास करे परन्तु इसका अर्थ सह ही है कि शक्ति का एक केन्द्र, ताकत को एकमात्र केन्द्र अर्थात् दुनियाँ एकमात्र मालिक''।

यह विश्व स्तर पर अमरीकी श्रेष्छता को खुली चुनौती है। रूसी राष्ट्रपति ने अमरीका को, उसके द्वारा विश्व स्तर पर राष्ट्रों के आर्थिक, राजनैतिक और मानवीय मामलों में अत्यधिक दचालन्दाजी के खिलाफ चेतावनी दे डाली। और उन्होने अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दर किनार करते हुए, अनेक मुद्दों पर अन्य राष्ट्रों पर अमरीकापरस्त नीतियों को अपनाने के लिए दबाव बनाने की सख्त आलोचना की है।

अनेको पश्चिमी टीकाकारों ने पुतिन के वक्तव्य को एक और शीत युद्ध की घोषणा करार दिया है। हालाँकि अमरीका का रक्षा बजट रूस के रक्षा खर्च का 20 गुना से भी अधिक है, फिर भी अमरीकी राजनीति को विश्व स्तर पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रूसी अर्थ व्यवस्था अच्छे परिणाम दे रही है। यह यूरोप में भी तेल एवं गैस का बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमरीकी साम्रज्यवादियों को यह डर सता रहा है कि रूस इस स्थिति का उपयोग विश्व के अलग–अलग हिस्सों में अमरीकी रणनीति के खिलाफ कर सकता है।

गणतंत्र दिवस के मुख्य अथिति के रूप में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के अवसर पर अनेक रणनीतिक महत्व के समझौते हुए हैं जिनका सम्बन्ध भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और सिविलियन न्यूक्लियर कारपोरेशन को मजबूत करने से है। रूस से भारत को 4 न्यूक्लियर रिक्टरों की आपूर्ति का समझौता हुआ है। रूस से भारत को मिग 35 लड़कू विमानों की आपूर्ति का समझौता होने वाला है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इसरो और रूसी फैडरल स्पेस एजेन्सी के बीच संयुक्त रूप से सैटेलाईट लाँच करने सम्बन्धी समझौता भी हुआ है।

इस वर्ष जनवरी के अन्त में रूसी रक्षा मंत्री सेरगई इवानोव की भारत यात्रा के दौरान अति महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की भारत को आपूर्ति से सम्बन्धित समझौते भी सम्पन्न हुए हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच ऊर्जा से सम्बन्धित मामलों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति एक स्वागत योग्य कदम है।

राष्ट्रपति पूतिन की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में रूस भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने का जिक्र किया गया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की संयुक्त वार्ता में सकारात्मक पहलू उभरे हैं, जो एशिया महाद्वीप में शान्ति और स्थायित्व की ओर इशारा करते हैं।

भारत–अमरीका आणविक समझौता

जब मेहनतकश जनता मई दिवस केअवसर पर विश्व भर में रैलियाँ करके, पूरी दुनियाँ पर आधिपत्य जमाने की अमरीकी नीतियों का विरोध कर रही थी, तब भारत के विदेश सचिव शिव शंकर मेनन अमरीकी सरकार के साथ आणविक समझौते की वार्ता में व्यस्त थे। भारत एव अमरीका के बीच आणविक सहयोग बढ़ाने के लिए किए जाने वाला 123 समझौता भारत की संप्रभुता पर गहरा दुष्प्रभाव डालेगा और भारत को अमरीकी साम्रज्यवाद गुलाम बना देगा।

अमरीकी संसद के अध्यक्ष टॉम लैन्टोस तथा अन्य 6 सांसदों ने प्रधानमंत्री डा० मन मोहन सिंह को पत्र लिखकर भारत के इरान के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने की कड़ी आलोचना की है। इस पत्र में कहा गया है "हम इरान के सम्बन्ध में गहरा क्षोभ व्यक्त करते है कि भारत इस देश के साथ सहयोग बढ़ाने जिसके के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल का आना–जाना, जिसके तहत रक्षा सहयोग भी है तथा नजदीकी आर्थिक रिश्तों के लिए समझौते भी हैं। अमरीकी विदेश सचिव कोण्डोलिजा राइस और उनके सहयोगी इरान–पाकिस्तान–भारत पाइप लाइन समझौते का लगातार विरोध कर रहे हैं।

भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की दखलन्दाजी के बावजूद भी भारत सरकार ने अभी तक भी इस दखलन्दाजी के खिलाफ कोई सख्त प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। यह सिर्फ भारत सरकार के द्वारा साम्राज्यवाद के समक्ष घुटने टेकने की प्रवशति को ही दर्शाता है।

अमरीकी पत्र–पत्रिकाऐं में इण्डो–अमरीकी न्यूक्लियर कोआपरेशन पर वार्ताओं की प्रगति के बारे में लिखा गया है। भारत सरकार को इण्डो–अमरीकी न्यूक्लियर समझौते के बारे में ससंद को दिए गए आश्वासन पर अडिग रहना ही होगा। और यदि संसद को दिए गए आश्वासन से भिन्न कुछ भी होगा तो भारतीय जनमानस उसके विरूद्ध बदलने की सीमा तक भी विरोध करेगा। भारत सरकार को स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए संसद को दिए गए आश्वासन पर अडिग रहना ही होगा।

चीन की विस्मयकारी उपलब्धियाँ

चीन सरकार के द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश की किास दर वर्ष 2006 में 10.7 प्रतियात रही है, जो पिछले लगातार 4 वर्षों के दौरान विकास दर दो अंको में ही दर्ज की गयी है। वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का कुल मूल्य 26 हजार 9 सौ करोड़ अमरीकन डालर रही है। बताया गया है कि जर्मनी में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का मूल्य 30 हजार करोड़ अमरीकन डालर है और वर्ष 2007 में चीन की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पार कर जाएगी और चीन अमरीका एवं जापान से भी बहुत आगे चला जाएगा। अमरीकी अर्थशास्त्रियों का भी अनुमान यही है कि यदि विकास की यही दर कायम रहती है, तो चीनी अर्थव्यवस्था, अमरीकी अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल जाएगी।

चीन का ट्रेड़ सरप्लस 17 सौ 75 करोड़ अमरीकी डालर तक पहुँच गया है, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भण्डार 107 अरब अमरीकी डालर. तक पहुँच गया है। चीन की अर्थव्यवस्था 1978 से ही 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकसित हो रही है। और जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने के मामले में भी आगे ही है। चीन में प्रतिव्यक्ति आय भारत से दो गुना है। चीन सिर्फ 12 प्रतिशत जनता ही गरीबी की रेखा के नीचे है और 2010 तक पूरी जनता गरीबी की रेखा के ऊपर हो जाएगी।

फिर भी बेरोजगारी अभी भी गम्भीर चिन्ता विषय है, और चीनी सरकार अधिकाधिक रोजगार पैदा करने के लिए कदम उठा रही है। चीनी ट्रेड़ यूनियनें जनता के लिए अधिकाधिक बेराजगारी भत्ता माँग रही हैं ताकि बेराजगार जनता भी आत्म सम्मान के साथ जीवन जी सकें। असमान विकास देश के समक्ष एक विराट समस्या है। देहात से विस्थापितों के शहरों में जीने के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ए.आई.सी.एफ.टी.यू. ने उनके हालात में सुधार करने की माँग की है। वर्तमान योजना में सरकार ने इन कामगारों के हालातों में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया है।

चीन ने जनवरी के तीसरे सप्ताह में उपग्रहरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। जो एक निश्चित रूप से एक तकनीकी उपलब्धि है। अमरीकी साम्राज्यवाद अंतरिक्ष को हथियारों का अड्डा बनाने की कोशिश में है, इस तथ्य को भी नजरअन्दाज करते हुए, अमरीका ने इस परीक्षण पर खुले तौर पर एतराज जताया है।

यह परीक्षण भारत के विरूद्ध नहीं था फिर भी भारत सरकार ने इस परीक्षण पर विरोध व्यक्त किया है।

कोरियाई उपमहाद्वीप में परमाणु शान्ति

बीजिंग में 13 फरवरी को उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान, रूस और अमरीका मध्य सम्पन्न हुए परमाणु समझौते में चीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो कोरियाई उपमहाद्वीप में परमाणु अप्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते में यह प्रावधान है कि चीन, रूस, दक्षिणी कोरिया और अमरीका दो हल्के पानी के रिएक्टरों सहित भारी ईधन तेल एवं अन्य तरह की ऊर्जा सहायता की आपूर्ती करेगें। उत्तरी कोरियाई सरकार ने बदले में यह वायदा किया है कि वह यांगब्यॉन में अपना प्लूटोनियम कार्यक्रम स्थायी रूप से बन्द कर देगी।

यह समझौते की मूल आत्मा वही है जो 1994 के समझौते में थी। परन्तु समस्या तब पैदा हुई जब दक्षिणी कोरिया, जापान और अमरीका ने समझौते का उल्लंघन किया। अमरीकी सरकार ने भारी ईधन तेल की आपूर्ती बन्द कर दी तो मजबूरन उत्तरी कोरिया को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। बुश प्रशासन ने उत्तरी कोरिया को शैतानी राज्य घोषित कर दिया और खुले रूप से वहाँ सत्ता बदलने की वकालत करनी शुरू कर दी। इसने उत्तरी कोरिया के परमाणु संस्थानों पर हमला करने की धमकी दे डाली। बुश ने बहुत ही उदण्डतापूर्ण तरीके से इराक, इरान और उत्तरी कोरिया को "शैतान की धुरी" की संज्ञा दे डाली।

इस क्षेत्र में तनाव तब गढ़ना शुरू हुआ, जब उत्तरी कोरिया ने अक्टूबर 2006 में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया। चीन के द्वारा जारी लगातार राजनायिक प्रयासों से वार्ता जारी रही और अन्ततः समझौता हो ही गया।

यदि यह समझौता सही मायनों में लागू हुआ तो निश्चित रूप से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच आपसी सम्बन्धों में सुधार होगा।

चीन–जापान सम्बन्धों में सुधार

एशिया के दो बड़े राष्ट्रों चीन और जापान के बीच के तनावपूर्ण सम्बन्धों में सुधार 12 अप्रेल को टोक्यो में सम्पन्न हुए सम्मेलन में देखने को मिला है। चीन के प्रधानमंत्री व्हेन जिआबाओ ने जापान की यात्रा कर जाकर जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो ॲबे के साथ विभिन्न लगातार चलने वाले मुद्दों पर चर्चा की है।

द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फासिस्ट जापान का चीन पर हमला और उसके विरूद्ध चीन की जनता का बहादुरीपूर्ण मुकाबले में चीन के हजारों देशभक्तों को अपनी जान गवाँनी पड़ी। उस निर्मम हमले की कड़वी यादें चीनी जनता के दिमागों में अभी भी जिन्दा हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों जिनमें अनेकों युद्ध अपराधी भी थे, की याद में टोक्यो शहर में याशुकुनी स्मारक बना है। और जापानी नेताओं का बार–बार वहाँ जाना चीनी जनता को बहुत चुभता है।

जापानी प्रधानमंत्री ॲबे का इस स्मारक में न जाना ही दोनों देशों के बीच बेहतर वातावरण बनाने में सहायक हुआ है। चीन के प्रधानमंत्री व्हेन जिआबाओ का 12 अप्रेल को जापानी संसद में दिया गया भाषण दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्तों को दर्शाता है।

सम्मेलन का अन्त दोनों देशों के बीच ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग बनाने के समझौते के साथ हुआ है। चीन पहले ही जापान का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी बन चुका है, जापान की 35000 कम्पनियाँ चीन में काम कर रही हैं, जिन्होने लगभग एक करोड़ रोजगार मुहैया कराए हैं।

चीन के ही एक हिस्से ताईवान पर जापान को अपनी राय स्पष्ट करनी बाकी है। और चीन अभी भी सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जापान की दावेदारी पर सहमत नहीं है। फिर भी चीन–जापान सम्मेलन से दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को दूर करने वाला सिद्ध होगा, और यदि उचित ढ़ंग से रिश्ते विकसित होगें तो यह एशिया प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व लाने वाला भी सिद्ध होगा।

श्रीलंका में बिगड़ती स्थिति

श्रीलंका की सरकार और एल.टी.टी.ई. के बीच युद्ध विराम समाप्त होने के बाद स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इस द्वीप पर 25 वर्ष से भी अधिक समय से चले आ रहे टकराव ने श्रीलंका की जनता का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि फरवरी 2007 तक के 15 महिनों में ही लगभग 4000 लोगों ने इस जातीय हिंसा में अपना जीवन गवाँया है। जनता की यह तकलीफें, आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ती में कमी ने और भी अधिक बढ़ा दी हैं।

एल.टी.टी.ई. द्वारा स्वतंत्र तमिल ईलम की माँग पर अड़े रहने और राज्यपक्ष सरकार द्वारा समस्या का सैनिक समाधान का प्रयास कोई राजनैतिक समाधान नहीं निकलने दे रहा है।

एल.टी.टी.ई. द्वारा 29 अप्रेल और 3 मई को किए गए हवाई हमले ने और भी अधिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों में कोई सहमति के न होन से स्थिति और अधिक उलझ गयी है। इस स्थिति के कारण श्रीलंका में कोई भी बाहरी मदद भी इस समस्या का समाधान निकालने में कारगर नहीं हो सकती है। यदि इस समस्या का कोई राजनैतिक समाधान नहीं निकलता है तो इस देश में आम आदमी की हालत और भी अधिक बिगड़ती चली जाएगी।

नेपाल के लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम

नेपाली जनता ने 24 अप्रेल को राजा द्वारा शासित आपातकाल की स्थिति से मुक्ति दिवस की पहली वर्षगाँठ के रूप में मनाया है। यह ऐतिहासिक जीत "लोकतंत्र दिवस" के नाम से मनायी गयी। तमाम रूकावटों

के बावजूद भी संसद में 8 पार्टियों का गठबन्धन सुचारू रूप से काम कर रहा है। असैम्बली के लिए चुनाव जुलाई में होने हैं। परन्तु नवगठित चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुँचा है कि तराई के इलाके में बहुत अधिक बिगड़े हालातों के कारण चुनाव की तैयारियाँ पूरी न हो पाने के कारण चुनाव जुलाई में नहीं हो पाऐगें। अब चुनाव अक्टूबर के अन्त में अथवा नवम्बर के शुरू में ही हो सकेगें।

नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के सवाल पर बहुत गर्म बहस हुई। राजा की शक्तियों को बहुत कम कर दिया गया है। नेपाल में गरीबी एक बहुत भारी समस्या है जिसे नेपाली सरकार को यह सवाल बहुत गम्भीरता से लेना होगा। प्रतिक्रियावादी ताकतें नेपाल में हिन्दू राष्ट्र कायम करना चाहती हैं और वो नेपाल के लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदमों का विरोध कर रही हैं। जो भी है 8 पार्टियों के गठबन्धन को बहुत मजबूत जन समर्थन प्राप्त है, जो लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदमों के बीच किसी भी तरह की रूकावट को आने नही देगा।

पाकिस्तान में नागरिक अशांति

बलोचिस्तान के लोगों के संघर्ष के बाद देश में एक बार फिर उस समय नागरिक अशांति पैदा हो गई जब राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इफत्खार चौधरी को रावलपिंडी स्थिति अपने कैम्प कार्यालय में बुला कर इस्तीफा देने का आदेश दे दिया था। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जस्टिस चौधरी एक स्वतंत्र न्याय पालिका की स्थापना करना चाहते थे। एक ऐसी न्याय पालिका जिसका मुशर्रफ से कोई लेना देना नहीं होता। किन्तु जब चौधरी ने मुशर्रफ की बात मानने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मुख्य न्यायाधीश अपना काम ठीक से करने में सक्षम नहीं हैं और सरकार को उनके बारे में "गम्भीर शिकायतें" मिली हैं। उन्होंने उन पर दुव्यर्वहार करने, अपने अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल करने और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर फैसले करने के आरोप भी लगा दिए। उनका कहना था कि इसके कारण न्याय पालिका की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। मुख्य न्यायाधीश को एक तरह से उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया और उनकी सभी सुविधाएं समाप्त कर दी गई।

वकीलों ने इसके खिलाफ 16 मार्च को लाहौर में जोरदार प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस की ओर से बर्बर हमला किया गया। पूरे देश में इस पर जोरदार प्रतिक्रिया हुई जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान भर में अनेक रोष प्रदर्शन हुए। प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों ने मुशर्रफ की इस कार्रवाई की आलोचना की है और वे राष्ट्रपति की कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध की कार्रवाईयों में शामिल हो गए हैं।

क्योंकि वकीलों ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है इसलिए पूरे देश में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रपति ने राणा भगवान दास को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है जो प्रतिपक्ष और आंदोलनकारी वकीलों को मंजूर नहीं है। वहां की स्थिति 12 मई के बाद से ही बिगड़ती चली जा रही है। अब तक हिंसा की वारदातों में 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और अनेक घायल हुए हैं। इस संघर्ष को पाकिस्तान में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एक व्यापक संघर्ष के रूप बदल देने का प्रयास किया जा रहा है।

बंगला देश में गड़बड़ की स्थिति

बंगला देश में 12 जनवरी से निगरान सरकार ने कार्यभार सम्भाला था और तभी से वहां गड़बड़ चल रही है। सेना प्रमुख डाक्टर फखरुद्दीन अहमद ने सरकार का समर्थन करते हुए घोषणा कर दी कि देश में नए चुनाव 2008 के अंत में होंगे। चुनाव आयोग ने भी घोषणा की है कि उसे मतदाताओं के चित्रों सहित देश में चुनाव की तैयारियां करने में 18 माए का समय लग जाएगा।

त्थापि, बंगला देश नेशनल पार्टी की नेता खालिदा जिया और चौदह दलों के गठबंधन की नेता बेगम हसीना को निगरान सरकार के हमले झेलने पड़ रहे हैं। खालिदा जिया के बेटों को आपराधिक दोष लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मुकद्दमें से बचने के लिए सउदी अरब भाग जाने के लिए मजबूर किया गया। शेख हसीना पर भी जमायते इस्लामी के 6 नेताओं की हत्या करने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उसे एक बिजनस मैन की ओर से आठ वर्ष पहले लगाए गए आरोप में भी फंसा दिया गया है जिसमें बिजनसमैंन ने बेगम हसीना

पर उससे 3 करोड़ टका लेने का आरोप लगाया था। हत्या के आरोप लगा कर 55 और राजनीतिक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

स्थिति उस समय और अधिक जटिल हो गई जब दोनो नेताओं को नोटिस जारी करके बंगला देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया। शेख हसीना अमरीका के निजी दौरे पर गई थी। उसने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके देश आने की घोषणा कर डाली भले ही उसे गिरफ्तार क्यों न कर लिया जाए। जनता के दबाव के आगे झुकते हुए निगरान सरकार ने दोनों नेताओं के खिलाफ जारी निषेधाज्ञा वापस ले ली है।

यद्यपि शेख हसीना और खालिदा जिया पर लगाई गई पाबंदियों को वापस ले लिया गया है फिर भी देश में बर्बर दमनचक्र अब भी चलाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पूरे बंगला देश में सामाजिक तनाव एवं टकराव बढ़ता चला जा रहा है।

डब्ल्यूएफटीयू के साथ हमारे सम्बन्ध

श्रमिक संघों के विश्व महासंघ अर्थात् डब्ल्यूएफटीयू की गतिविधियों में फिर से नयी जान डालने के लिए कोशिशें चल रही हैं। इसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। डब्ल्यूएफटीयू का पिछला सम्मेलन हवाना में दिसम्बर 2005 में हुआ था। उसमें साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और वर्ग संघर्ष पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया था। डब्ल्यूएफटीयू का मुख्यालय एथेंस (ग्रीस) चले जाने के बाद उसके कामों में सुधार आया है। भले ही उसे अब भी वित्तीय दबावों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल को सीमित ढंग से सक्रिय बनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। कुछ क्षेत्रीय गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और वे अपना स्वरूप ग्रहण कर रही हैं।

डब्ल्यूएफटीयू के महासचिव कामरेड जार्ज मावरिकोस ने सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में भाग लिया था और उन्होंने डब्ल्यूएफटीयू के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए सीआइटीयू के एक प्रतिनिधिमण्डल को अपने मुख्यालय आने के लिए निमंत्रित किया है। डब्ल्यूएफटीयू यह अपेक्षा भी करता है कि सीआइटीयू डब्ल्यूएफटीयू में शामिल हो जाएगा और वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन की गतिविधियों में मजबूती लाएगा।

सीआइटीयू ने इससे पहले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रहने का फैसला किया था और उसने उन साझे मुद्दों जिनका सामना श्रमिक वर्ग को करना पड़ रहा है, को लेकर जहां तक सम्भव हो सके व्यापक एकता का निर्माण करने का प्रयास किया था। टीयूआइ के महासचिव कामरेड सुकोमल सेन पहले ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम दूसरे ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल्स की गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं भले ही उनमें से कुछेक संगठन अब सक्रिय नहीं रहे।

हमने उल्लेख किया है कि पिछले साल नवम्बर में आइसीएफटीयू और डब्ल्यूसीएल का वियाना (आस्ट्रिया) में विलीनीकरण हो जाने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कनफैडरेशन असितत्व में आया है। इससे उस संगठन की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। भले ही नया संगठन भूमण्डलीयकरण के कुछ पहलुओं की आलोचना करता है किन्तु उसने इसके खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन चलाने के लिए कोई पहलकदमी नहीं की है। इस पर भी हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि अनेक जुझारू श्रमिक संगठनों जिनके साथ हमारे भ्रातश सम्बन्ध हैं, इस समय आइटीयूसी के साथ सम्बद्ध हैं। उनके साथ हमारे भ्रातश सम्बन्ध बने रहेंगे और हमें उनके साथ अपने सम्बन्धों पर गर्व है।

सीआइटीयू के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमने पचास देशों के श्रमिक संगठनों के साथ अपने दोस्ताना सम्बन्ध कायम किए हैं और ये संगठन आइटीयूसी, डब्ल्यूएफटीयू के साथ सम्बद्ध हैं और इसके अलावा अनेक स्वतंत्र यूनियनों के साथ भी हमने अपने सम्बन्ध स्थापित किए हैं। हमारे बारहवें महाधिवेशन में 27 देशों के प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया था जो हमारे बढ़ते चले जा रहे एकजुट सम्बन्धों को प्रतिबिम्बित करता है। हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को और मजबूत बनाना होगा क्योंकि भूमण्डलीयकरण के खिलाफ विश्व व्यापी संघर्ष विकसित होने की सम्भावनाएं प्रबल हो रही हैं। हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय विभाग को और मजबूत बनाना होगा ताकि हम और प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें।

इसी संदर्भ में हमें डब्ल्यूएफटीयू के प्रति अपनी नीति का निर्धारण करना होगा। साथियों को इस पर अपने विचार देने चाहिएं ताकि सैक्रेटेरिएट इस पर उपयुक्त रुख अपना सके। सभी महाद्वीपों में तेजी से बदलती स्थिति को देखते हुए हमें इन सभी प्रश्नों पर एक सामान्य समझ विकसित करनी होगी।

यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत बनाना

यूपीए सरकार ने अपने शासन के तीन साल पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उसने श्रमिक वर्ग के लिए अनेक वादे किए थे किन्तु उन पर अभी तक अमल नहीं किया गया। अनेक मुद्दों पर यूपीए सरकार अपने दिए गए आश्वासनों के विपरीत काम कर रही है।

अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी के कारण श्रमिक वर्ग और मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों में भारी रोष पाया जा रहा है। उनके ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों को क्षति पहुंचाई जा रही है। उनकी जीवन तथा कामकाजी स्थितियां दिनो दिन बद से बदतर होती चली जा रही हैं। सरकार ने धोखाधड़ी वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सुधार लाने से इन्कार कर दिया है। इसके कारण श्रमिक वर्ग को हर मास करोड़ो रुपए का नुकसान झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप इस वैश्वीकरण के दौर में देश के अन्दर आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। ताजा अध्ययन के अनुसार अमरीकी डालर के संदर्भ में 36 अरबपतियों का, देश की कुल आय के एक चौथाई भाग पर कब्जा है। अजीम प्रेमजी की कुल सम्पत्ति अनुमानतः रू० 77000 करोड़ है। कॉरपोरेट सैक्टर वतमान स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है।

यू.एन.डी.पी. की 2006 की मानव विकास सम्बन्धी रिपोर्ट के अनुसार 177 देशों से एकत्र किए गए आँकड़ों के आधार पर भारत 177 में से 124वें स्थान पर है। भारत में आर्थिक विकास के द्वारा मानव विकास नहीं किया जा रहा है। यह केवल कॉरपोरेट घरानों और शेयर बाजार के मूल्यों में वृद्धि के काम आ रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार और हवाला के जरिए बेराकटोक हेराफेरी हो रही है।

श्रम कानूनों को लागू किए बिना ही पूरे देश के पैमाने पर 400 से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र खोल जा रहे हैं। सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत लाखों की संख्या में बहुत मजबूत श्रम शक्ति का श्रम कानूनों का संरक्षण दिए बिना ही बहुत भयंकर शोषण किया जा रहा है। आऊट सोर्सिंग और श्रम शक्ति में कटौती आज का फैशन बन गया है। निजीकरण और विनिवेशीकरण संप्रग सरकार का मुख्य मंत्र बन गया है, जबकि विदेशी पूँजी को देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में खुली छूट दे दी गयी है। यहाँ तक रक्षा को भी बहुराष्ट्रीय निगमों और उनके देशी साथियों के लिए खोल दिया गया है।

अभी हाल में हुए विधान सभा चुनावों में भारी हार के बावजूद भी संप्रग सरकार अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक द्वारा सुझायी गयी आर्थिक नीतियों को ही आगे बढ़ाने पर ही उतारू है। यदि संप्रग सरकार ने गलतियों से सबक हासिल करते हुए अगले दो वर्षों में सुधार का प्रयास नहीं किया गया तो सरकार की ये नीतियाँ अन्ततः प्रतिक्रियावादी एवं साम्प्रदायिक ताकतों को पुनः सत्ता आने का रास्ता दे देगी।

भारत के मजदूर वर्ग और जनता को मिलकर सरकार की इन नीतियों के खिलाफ जनकार्यवाहियाँ करते हुए एक ताकतवर आन्दोलन छेड़ना होगा। सरकार की इन घातक नीतियों के खिलाफ सीटू यूनियनों को बड़े पैमाने पर ज़नता को आन्दोलित करने की पहल करनी होगी।

वैश्वीकरण की नीतियों को आगे बढ़ने से रोकना ही होगा। इन नीतियों को लड़कर हराना ही होगा तभी देश की जनता के जीवन के हालातों को बचाया जा सकेगा।

वैश्वीकरण की नीतियों के कारण सामने आयी चुनौतियों का मुकाबला सीटू को ही करना होगा।

आपका साथी

एम के पन्धे

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल बैठक

27–30 मई, 2007

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

हम बेंगलूरू में सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के तीन महीने बाद जनरल कौंसिल की बैठक कर रहे हैं। हमारे लिए भारी शोक एवं दुःख का विषय है कि हमारे प्रिय महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजुमदार महाधिवेशन में फिर से महासचिव चुन लिए जाने के एक महीने के भीतर गम्भीर बीमारी के कारण हमें विच्छोह दे गए हैं।

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार का इस तरह अचानक देहावसान हो जाना सामान्य तौर पर श्रमिक आंदोलन और विशेष तौर पर सीआइटीयू के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अपने गिरते स्वास्थ्य और अनेक सीमाओं के रहते हुए भी वह इस शिखर पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रमिक आंदोलन में विचलन के अनेक तरह के रुझानों के बीच सीआइटीयू को सांगठनिक एवं विचारधारा दोनों दृष्टियों से मजबूत एवं गतिशील बनाने के काम में निर्णायक महत्त्व की भूमिका का निर्वहन किया था। उनके चले जाने के कारण पैदा हुए शून्य को भर पाना बेहद कठिन है। हमें एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबिला करना होगा।

मैं, सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की ओर से मुझे नया महासचिव चुनने के लिए दिए गए सुझाव का अनुमोदन करने पर जनरल कौंसिल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, उसे पूरा करने के लिए मैं आपका भारी सहयोग चाहता हूं।

अध्यक्ष ने अपने भाषण में महाधिवेशन के बाद की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं पर पूरे विस्तार में चर्चा की है। बारहवें महाधिवेशन की रिपोर्ट में की गई यह टिप्पणी आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, "इस मध्यावधि में घटित अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं इस बात की साक्षी हैं कि अमरीकी प्रशासन के नेतश्त्व में साम्राज्यवादी ताकतें राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक मोर्चों पर एक साथ आक्रमक हथकण्डे अपना कर विकासशील देशों पर अपनी दादागिरी थोप रही हैं। इस अवधि में मध्य पूर्व में अमरीका तथा उसके सहयोगियों के साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होती गई है; साम्राज्यवादी देशों सहित विश्व के विभिन्न भागों में व्यापक लामबंदियां होते देखी गई हैं; नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की व्यवस्था के दुष्परिणामों के खिलाफ युरोपीय संघ के देशों में भी हड़तालों की लहर तेज होती चली गई है। लातिनी अमरीकी महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य में वामपक्ष की ओर झुकाव देखा जा सकता है।" यह टिप्पणी आज की स्थिति में भी यथावत लागू होती है; ये सभी घटनाएं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में होने वाली सकारात्मक महत्त्व की घटनाओं की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं।

इसके साथ ही, अमरीका के नीति निधारक जिस उदण्डता के साथ हमारे देश के सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न नीति की सत्ता में दखल दे रहे हैं उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। हमारा विश्वास है कि केन्द्र की सत्ता में विराजमान यूपीए सरकार इसके खिलाफ दृढ़ रुख अपनाएगी और ब्लैकमेल किए जाने की इस तरह की हरकतों के आगे नहीं झुकेगी।

1. राष्ट्रीय स्थिति

1.1 राष्ट्रीय परिदृश्य में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपनी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की भांति उसी आर्थिक नीति का पूरे जोरशोर से पालन कर रही है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा सत्ता से अधिकाधिक लोगों का मोह भंग होता चला जा रडा है। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखण्ड तथा पंजाब विधान सभाओं और मुम्बई तथा दिल्ली में स्थानीय निकायों के चुनावों में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। दुर्भाग्य से वह इस प्रक्रिया में दक्षिण पंथी ताकतें लाभ में रही हैं।

1.2 इसके फलस्वरूप भाजपा का हौसला और बढ़ गया है और वह हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों में फिर से अपने आक्रमक एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में कूदी थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम भाजपा के मुंह पर तमाचा थे और राज्य के लोगों ने पूरी दृढ़ता के साथि उसके साम्प्रदायिक एजेंडे को ठुकरा दिया। कांग्रेस पार्टी की हालत भी ठीक नहीं रही। हम यही आशा कर सकते हैं कि वह अपनी नीतिगत दिशा में फिर से आत्म चिंतन करेगी।

1.3 इन सभी चुनावों में यूपीए सरकार को जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों के अलावा नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के चलते जनता की विभिन्न श्रेणियों पर बरपाए जा रहे कहर के कारण असफलता मिली है और उसकी हालत बद से बदतर हो गई है।

1.4 इन घटनाओं का सबसे अधिक चिंता का पहलू यह है लोगों का कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है और इसके कारण पैदा होने वाली स्थिति का लाभ भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों जैसी प्रतिगामी ताकतों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य सभी जगह कुछ इसी तरह के हालात हैं। श्रमिक आंदोलन के लिए निश्चित तौर पर यह बात बेहद चिंताजनक है।

1.5 यूपीए सरकार ने अपने शासन काल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन तीनों वर्षो उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया। उसने सत्ता में आने से पहले जन–पक्षीय शासन देने का वादा किया था और कहा था कि उसका शासन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से हट कर होगा। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए आश्वासनों महज दिखावा बन कर रह गए हैं और सरकार बिना सोचे समझे इस देश की जनता पर विनाशकारी दुष्प्रभाव डालने वाली आर्थिक नीतियों का पालन कर रही है। संक्षेप में, यूपीए सरकार जन–पक्षीय शासन देने के अपने आश्वासन से पीछे हट गई है; उसने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है जिन्होंने वर्ष 2004 के चुनावों में एनडीए सरकार की साम्प्रदायिक तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ फतवा दिया था। वर्ष 2007 के अंत तक और वर्ष 2008 के शुरू में कुछ और राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। यूपीए सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपनी नीतियों में तीखा बदलाव लाए और जन–पक्षीय शासन चलाने पर जोर दे। अन्यथा, वह भारतीय राजतंत्र की धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक बुनियाद पर ही कुठाराघात करेगी। श्रमिक वर्ग को सतर्क रहना होगा और उसे नीतिगत सत्ता की दिशा को बदलने के लिए शक्तिशाली लामबंदियां करके इस सरकार पर जनता का दबाव बढ़ाना होगा।

1.6 भाजपा अपने आक्रमक साम्प्रदायिक एजेंडे का पालन अधिक से अधिक कर रही है; वह इस तरह की बातें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर करती है; इसके अलावा वह सत्ताधारी गठबंधन की आर्थिक नीतियों का तहे दिल से समर्थन करती है; हमें पूरी गम्भीरता के साथ इस पर ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनावों के समय सीडी निकाल कर अल्प संख्यकों के खिलाफ जहरीला प्रचार अभियान चलाया गया किन्तु यह दुष्प्रचार उलटा पड़ा और उन्हें जल्दबाजी में उठाए गए अपने इस कदम से पीछे हटना पड़ा; यह अलग बात है कि बाद में यही लोग चुनाव आयोग के निदेश पर खुद ही अपनी आत्म आलोचना करने लग गए थे। कटारा कांड जिसकी बहुत बदनामी हो चुकी है, ने भाजपा को बेपर्दा कर डाला है; गुजरात से चुने गए उसके संसद सदस्य कटारा को देह व्यापार के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया था। गुजरात में जिस तरह झूठे पुलिस मुकाबले कराए गए और वह भी मोदी सरकार के निदेशों पर, उससे भाजपा का असल चेहरा बेनकाब हो गया है।

1.7 भाजपा ने कटारा कांड जिसमें खुद उसी का संसद सदस्य शामिल था, में जो रुख अपनाया उससे वह बेनकाब हो चुकी है। श्रमिक तथा जनवादी आंदोलन को साम्प्रदायिक ताकतों की चुनौती का सामना करना होगा। यह चुनौती पहले से कहीं अधिक गम्भीर है।

2. वामपक्ष पर हमले

2.1 वामपक्षी ताकतों पर बढ़ते चले जा रहे हमलों के कारण स्थिति जटिल हो गई है; प्रतिगामी ताकतें हर जगह और बुर्जुआ मीडिया के माध्यम से ये हमले कर रही हैं; संगठित ढंग से वाम पक्षी ताकतों को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है; अल्टरा–लेफ्ट गुट भी इस तरह के दुष्प्रचार में उनका साथ बखूबी निभा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना – विशेष तौर 14 मार्च, 2007 को पुलिस फायरिंग में चौदह जाने चले जाने जिसका हमें बेहद अफसोस है, की घटना का इस्तेमाल दुष्प्रचार के इस अभियान के लिए ईंधन के तौर पर किया जा रहा है।

2.2 वाम पक्ष के खिलाफ इस हमले में नव–उदारवादी भूमण्डलीयकरण के सभी महारथी एक साथ मिल गए हैं; वे प्रकट रूप में भूमण्डलीयकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और सेज़–विरोधी रुख अपनाते हैं और इस तरह

वे वाम पक्ष के बारे में अपने रुख पर लोगों में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं; इसे विडम्बना ही कहा जाएगा। मीडिया अभी हाल ही तक वाम पक्ष की छवि ठीक उसी तरह की बनाता रहा है मानो वह भी सुधारों की हवा में बह गया हो जबकि इस तरह की छवि आर्थिक सुधारों पर वाम पक्ष की ओर से अपनाए गए रुख और उसकी विचारधारा के पूर्णतया विपरीत है। इस तरह वाम पक्षी शब्दावली का उपयोग करके उसी पर व्यंग्य बाण छोड़े जा रहे हैं। वाम मोर्चा सरकार ने पिछले तीन दशक के अपने शासन काल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें कलम की एक जुम्बश से खत्म किया जा रहा है और उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो अतीत में विकास की गाड़ी को पीछे धकेलने की कोशिशें करते रहे हैं और अपनी इन कोशिशों में बुरी तरह नाकाम रहे हैं।

2.3 वाम पक्ष के खिलाफ इस तरह के निंदा अभियान के माध्यम से सत्य का गला घोंटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले स्वीकार किया था कि पुलिस फायरिंग एक गलती थी और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। दूसरे, वाम मोर्चा सरकार की ओर से नंदीग्राम के गांवों में जोर–जबरदस्ती करके जमीन हथियाने की कोशिश नहीं की गई थी और यह बात मुख्यमंत्री ने पुलिस फायरिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से महीनों पहले वाजह कर दी थी। तीसरे, पुलिस फायरिंग भले ही वह दुर्भाग्यपूर्ण है, किन्तु शांतिप्रिय गांव वासियों पर नहीं हुई थी जैसा कि बताया जा रहा है। चौथे, यह वाम मोर्चा के समर्थक ही थे जिन्हें हथियार बंद गुण्डा गिरोहों ने अपने घर–बार छोड़ कर चले जाने के लिए मजबूर किया गया था और वे अब भी हिंसक हमलों का शिकार हो रहे हैं – इनमें सीआइटीयू तथा दूसरे जन संगठनों के लोग भी शामिल हैं – वाम पक्ष विरोधी गिरोहों ने पिछले लगभग तीन महीनों से नंदीग्राम को एक ऐसा क्षेत्र बना डाला है जहां कानून का शासन नहीं चलता। पाचवें, नंदीग्राम पर वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ उछल–उछल कर बातें करने वाली और निंदा प्रचार करने वाली अनेक दूसरी राजनीतिक ताकतें भी आक्रमक तेवर अपना कर भूमि सुधारों का विरोध करती हैं जबकि पश्चिम बंगाल में पिछले तीन दशकों के दौरान यह काम सफलता पूर्वक किया जा चुका है।

2.4 जमीनी सुधारों के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार देश भर में अग्रणी रही है। पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने अकेले अपने दम पर राज्य में भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण किया जो देश में बांटी गई कुल जमीन का बीस प्रतिशत है। राज्य की 83 प्रतिशत भूमि छोटे काश्तकारों के पास है। उनमें बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा दूसरी गरीब श्रेणियों के लोगों की है; मौजूदा वाम मोर्चा सरकार ने सातवीं बार शासन सम्भालने के बाद भी 30,000 एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों में बांटी है। इसके विपरीत नव–उदारवादी भूमण्डलीयकरण के मौजूदा चरण में देश के दूसरे भागों में भूमि सुधारों का एजेंडा एक तरह से ताक पर रखा जा चुका है। अब इस तरह के लोग अथवा तत्व भी खुद को किसानों का मित्र बता रहे हैं; यही लोग वाम मोर्चा की छवि को बदरंग करके उसे इस रूप में पेश कर रहे हैं कि मानो वह गरीब लोगों की जमीनें हथिया कर नैगम घरानों की झोली में डाल रही हो; यह पाखण्ड की चरम सीमा नहीं तो और क्या है?

2.5 यह वाम पक्ष ही है जो विशेष आर्थिक अंचल अधिनियम तथा उसके नियमों और इसके साथ–साथ 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव लाने की मांग अपनी पूरी ताकत के साथ केन्द्र की सत्ता में विराजमान यूपीए सरकार से करता रहा है और आज भी वह इस पर जोर दे रहा है। ये वाम पक्षी ताकतें ही हैं जिन्होंने सेज़ अधिनियम के श्रमिक विरोधी अनुच्छेद समाप्त करने पर सरकार को मजबूर किया था जबकि सभी दक्षिण पंथी ताकतें मूक दर्शक बन कर तमाशा देखती रहीं थीं। एक बार फिर, वाम दलों जिन्होंने सबसे पहले अधिनियम के अन्तर्गत बाद में बनाए गए नियमों का विरोध किया था और उनमें आमूल परिवर्तन लाने की मांग की थी।

2.6 प्रतिगामी ताकतों की ओर से वाम पक्ष के विरोध में चलाए जा रहे देशव्यापी कुत्सा प्रचार अभियान के पीछे कौन–से निहितार्थ काम कर रहे हैं, हमें उन्हें गहराई में जा कर समझना होगा। फिर भी हमें पूरे धैर्य के साथ जन साधारण के बीच जाना होगा क्योंकि उनमें से अनेक गलतफहमियों का शिकार हो गए हैं और उनके कुछ उचित संदेह भी हैं, अपनी बात कहनी होगी।

2.7 श्रमिक आंदोलन वाम दलों की जीवन रेखा है और जहां कहीं भी जन विरोधी नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को लागू करने का प्रयास किया गया वहां पर वाम पक्षी ताकतों ने आगे बढ़ कर उनका विरोध किया और उन पर अमल करने की प्रक्रिया में व्यावधान खड़ा किया है। वाम पक्षी ताकतें धर्म निरपेक्षता और जनवादी राजतंत्र के लिए संघर्ष में हमेशा आगे रही हैं। उनकी ईमानदारी संदेह से परे है। यूपीए सरकार का मौजूदा राजनीतिक स्थिति में वाम दलों के समर्थन पर चल रही है; वाम दल नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों पर अमल की राह में रोड़ा बने हुए हैं; वे बिना किसी रुकावट के नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को चलने नहीं दे रहे। कुछेक मामलों में मौजूदा राजनीतिक सह–सम्बन्ध निश्चित तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के निर्णायक हित के मुद्दों

को आगे बढ़ाने में घातक सिद्ध हुए हैं।

2.8 दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा तीन राज्यों में वाम दलों के नेतश्त्व वाली सरकारें कृषि तथा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में साथ ही साथ विकास पर आधारित अर्थव्यवस्था के बहुआयामी प्रसार के लिए विकास की नीतियां अपना रही हैं; उन्होंने मेहनतकश अवाम के जनवादी अधिकारों को बनाए रखा है। वे केन्द्र की सत्ता में विराजमान सरकार के नीतिगत ढांचे की ओर से लागू की गई सभी सीमाओं के बावजूद इस नीति पर चल रही हैं। इसलिए, उनके और दूसरी गैर वाम दलों वाले राज्यों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। यही अंतर अथवा पहचान साम्राज्यवाद और नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस पश्ष्ठभूमि में दक्षिण पंथी प्रतिगामी ताकतों, नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के झण्डा बरदारों एवं उनके गुर्गों की ओर से वाम पक्ष की छवि को बदरंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा; उनके लिए यह स्वाभाविक ही है। हमें इसी पश्ष्ठभूमि में नंदीग्राम के बाद की घटनाओं का विश्लेषण करना होगा।

2.9 इसलिए सीआइटीयू तथा श्रमिक आंदोलन के आगे इस समय सबसे बड़ा काम यह है कि वे आगे बढ़ कर वाम दलों के नेतश्त्व वाली सरकारों का बचाव करें, वाम पक्षी ताकतों के खिलाफ रचे जा रहे षडयंत्र को नाकाम बनाएं और नंदीग्राम की घटना के असल तथ्यों को जनता के सामने लाएं। सीआइटीयू को यह काम हाथ में लेना होगा।

3. वर्ष 2007–08 का बजट

3.1 इस मध्यावधि में आर्थिक मोर्चे की सबसे प्रमुख घटना वर्ष 2007–08 का केन्द्रीय बजट पेश होना है। यह बजट उन लोगों की जन विरोधी मानसिकता को प्रतिबिम्बित करता है जो इस समय सरकार चला रहे हैं। अमीर वर्गो को लाखों–करोड़ों ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के साधारण लोगों की कीमत पर रियायतें एवं छूटें देने के लिए बार बार की जा रही कार्रवाई की यह बजट अगली कड़ी है।

3.2 बजट अनुमानों के साथ पेश किए गए राजस्व क्षति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में छूट और रियायतें दिए जाने के कारण वर्ष 2006–07 में 2,35,191 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रेखांकित किया था कि नैगम कर जिसका भुगतान सभी कम्पनियों की ओर से 2006–07 में किया गया, की प्रभावी दर केवल 19.2 प्रतिशत थी (जो 33 प्रतिशत कर सरकार को मिलने वाले थे, उनके बदले में) अमीर लोगों और नैगम घरानों को बड़ी–बड़ी रियायतें देने और मेहरबानियां किए जाने के कारण सरकार के राजस्व में गिरावट आई है। इसके अलावा वे कर जिनका भुगतान ही नहीं किया गया अर्थात् बट्टेखाते पड़ी बड़ी–बड़ी रकमें – जो 30–09–2006 को 1,29,617 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थीं और अधिकतर बड़े नैगम घरानों की ओर बकाया हैं, इस स्थिति को बद से बदतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। अमीर लोगों या दूसरे शब्दों में नैगम घरानों को करों में बड़ी–बड़ी रियायतें दिए जाने और सरकार को अपने कर न दिए जाने के बावजूद पिछले साल कर राजस्व में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों का बोझ जन साधारण के कंधों पर डाला गया और "यह बोझ पहले से कई गुणा अधिक बढ़ चुका है।"

3.3 बजट में जन साधारण की पीड़ाओं और मुसीबतों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। खाद्य सब्सिडी की मात्रा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्भावनाओं की सूचक है, में बहुत मामूली अर्थात् 6.2 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। मुद्रा स्फीति की दर जबकि 7 प्रतिशत के आस पास पहुंच गई है, उस स्थिति में इतने कम धन का आबंटन करने का अर्थ पीडीएस में गिरावट आना और उसका सिकुड़ जाना है। इसी तरह रोजगार कार्यक्रमों जिनके फलस्वरूप गावों में रहने वाले गरीब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सकती है, के लिए बजट आबंटन में भी 3.5 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है। असल में यह इस क्षेत्र की गिरावट को ही दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का पिछले वर्ष विस्तार किया गया था, पहले यह योजना 200 जिलों में चल रही थी और अब उनकी संख्या बढ़ा कर 330 कर दी गई है। किन्तु उसके लिए धन का आबंटन 11,300 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 12,000 करोड़ रुपए किया गया है अर्थात् उसमें केवल 6.2 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है जो असल अर्थ में कटौती ही है।

4. श्रमिकों के साथ कठोर व्यवहार

4.1 वास्तव में, वर्ष 2007–08 के बजट में कोष/बैंक द्वय के निदेशों का अक्षरशः पालन किया गया है और उनके संदेशवाहक प्रमुख समाचार पत्र 'सम्पादकीय' लिख–लिख कर सरकार को चेतावनी पर चेतावनी देते रहे, "वह सर्वहारा और कृषि जगत की धौंस पट्टियों या के आगे न झुके या दूसरे शब्दों में उनकी बकबक की परवाह

न करे।"

4.2 सर्वहारा और कृषि वर्ग से उनका तात्पर्य वेतन भोगियों से है अर्थात् देश में रहने वाले 30 करोड़ लोग जिनकी दैनिक आय एक डालर से भी कम है और 60 करोड़ लोग जो एक दिन में दो डालर से भी कम राशि का अर्जन करते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की ओर से कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1999–2000 में देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ था। बजट में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे बड़े नैगम घरानों को करों में दी गई बड़ी–बड़ी छूटों की कीमत का एक हिस्सा अदा करें; दूसरे शब्दों में आवास पर ध्यान केन्द्रित करके उन पर करों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक के लिए बजट में तथाकथित "आम आदमी बीमा योजना" शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है अर्थात् उनके साथ मजाक किया गया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 37 करोड़ श्रमिकों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने का आश्वासन दिया गया था; उस आश्वासन को पूरा करने के स्थान पर केवल 77 लाख परिवारों के लिए एक योजना का प्रस्ताव पेश किया गया है; इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार केवल 50 प्रतिशत धन देगी और बाकी धन देने के लिए राज्य सरकारों को मजबूर किया जा रहा है। इस तरह की अनेक उदाहरणें देखने को मिल जाती हैं। बजट में एक उदार घोषणा की गई है अर्थात् आइसीडीएस योजना को सभी जगहों पर लागू किया जाएगा; आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर लगभग एक लाख कर दी जाएगी किन्तु उसके लिए बजट में बेहद मामूली धन का आबंटन किया गया है। इसके चलते यह घोषणा भी एक मजाक बन कर रह गई है।

4.3 वित्त मंत्री के बजट भाषण और बजट पेश होने से पहले प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण दोनों में बार–बार "समान विकास" अर्थात् वह विकास जिसमें प्रगति का लाभ सबको मिले, की बात कही गई है। किन्तु वास्तव में कहा क्या गया है? यूपीए सरकार ने एक बार फिर सकल घरेलू उत्पाद के 8 से 9 प्रतिशत होने की डींग हांकी है। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने एक ही प्रवचन की तोता रटंत अपने भाषणों में की है – "गरीबी दूर करने का कोई शार्ट कट नहीं है और उसके लिए विकास जरूरी है।" किन्तु यूपीए सरकार ने विकास के जिस माडल का प्रदर्शन किया है वह तो गरीबों की हालत को बद से बदतर बनाने का रास्ता दिखा रहा है और यह काम अमीर लोगों को बड़ी–बड़ी रियायतें देकर और लाखों–करोड़ों लोगों के कंधों पर करों का बोझ डाल कर किया जाएगा।

4.4 यहीं पर बस नहीं, समान विकास सार्वजनिक निवेश को और बढ़ा कर ही सम्भव हो सकता है। निजी निवेश भी सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने में योगदान दे सकता है किन्तु वह समान विकास को यकीनी नहीं बना सकता क्योंकि निजी निवेश में "समान विकास के एजेंडे" में मुनाफे की धारणा जुड़ी होती है जो समान विकास के मामले में अनैतिक धारणा है। सार्वजनिक निवेश में तेज गिरावट देखी गई है; वर्ष 1986–87 में यह जीडीपी की 11.2 प्रतिशत थी किन्तु 2003–04 में कम होकर 5.5 प्रतिशत रह गई (आर्थिक सर्वेक्षण 2004–2005)। वर्ष 1993–94 को आधार वर्ष माने तो वर्ष 2005–2006 में भी यह 7 प्रतिशत से कम था। समान की धारणा भ्रांति ही बनी रहे इसे यकीनी बनाने के लिए मौजूदा बजट ने भी उसी रुझान को बनाए रखा है।

5. महंगाई

5.1 बढ़ती महंगाई के कारण समान विकास की बातें मजाक बन कर रह गई हैं। इसने लाखों–करोड़ों गरीब लोगों के पास से मुट्ठी भर अमीर लोगों में दौलत के हस्तांतरण की गति को और तेज किया है। यह बजट बढ़ती मुद्रा स्फीति विशेष तौर पर जन उपभोग की जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वश्द्धि होने की पश्ष्ठभूमि में पेश किया गया है। किन्तु खाद्य सब्सिडी का बिल 25696 करोड़ रुपए रखा गया है जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। एक बार फिर कहेंगे कि मुद्रा स्फीति की बढ़ती दर से कम। वित्त मंत्री ने इस वर्ष 28 जनवरी को एक समाचार पत्र के साथ अपनी भेंट वार्ता में कहा थाः "अब हम मूल्य नियंत्रण लागू नहीं कर सकते क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो नौकरशाही और लायसेंस राज वापस आ जाएगा और न ही हम मांग का दमन कर सकते हैं क्योंकि हम एक मुक्त देश हैं। इसलिए, हमें कुछ मुद्रा स्फीति के साथ जीना सीखना होगा।" इस तरह की विचार अभिव्यक्ति मुद्रा स्फीति के खिलाफ लड़ने के प्रति एक लापरवाही वाले रुख की ओर संकेत करती है। इसके लिए मौद्रिक तथा दूसरे कदम उठाने की बात तो दूर रही।

5.2 जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में तीखी बढ़ोतरी के कारण हैं और उनमें से कुछेक कारणों की पहचान की जा सकती है – खाद्य अर्थव्यवस्था में जबरदस्त कुप्रबंधन, पेट्रोल एवं डीज़ल के मूल्यों में बढ़ोतरी और कृषि उत्पादों के विशाल भावी वादा व्यापार जिसकी इजाजत 2003 में एनडीए सरकार के जमाने में दी गई थी।

5.3 किसानों को अपने उत्पादों के लिए उचित दाम मिलें; सरकार की नीति इसकी सम्भावनाओं को बढ़ाने वाली होनी चाहिए जो कि खाद्य सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्र को उसकी मौजूदा दुरावस्था से बाहर निकालने की कुंजी है। किन्तु सरकार इस मामले में बुरी तरह विफल रही है। किसानों को बेहतर खरीद मूल्य मिलें, बजट में इसके लिए मौजूदा व्यय को बढ़ाने की कोई योजना पेश नहीं की गई। पर्याप्त खाद्यान्नों की खरीद करने और इसमें मजबूती लाने के साथ–साथ पीडीएस का विस्तार करना मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए बेहद जरूरी है। किन्तु वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया में जानबूझ कर गिरावट लाई जाती है; इसके लिए डिपो में कामबंदी कर दी जाती है और उचित खरीद मूल्यों का निर्धारण करने में जानबूझ कर कोताही की जाती है और उन्हें समय पर घोषित नहीं किया जाता। इसके चलते निजी व्यापारी जिनमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं, अनाज उठा लेती हैं। गेहूं की खरीद में एफसीआइ की ओर से दिखाए गए घाटे को पूरा करने के नाम पर सरकार अनाजों का उदार आयात करने लग जाती है और वह भी किसानों को दिए जाने वाले मूल्य से कहीं अधिक दाम पर। यह पूरी खेल कृषि उत्पादों के व्यापार में लगे व्यापारियों को मोटे लाभ पहुंचाने के लिए खेली जाती है। इसका असर कृषि उत्पादों की उत्पादकता पर पड़ना लाजमी है और इसके साथ ही साथ मुद्रा स्फीति बढ़ती है और हमारी अर्थव्यवस्था में नियमित अंतराल पर अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं।

5.4 इस सम्बन्ध में तत्काल उठाए जाने वाले कदम के तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाए ताकि गरीब लोग विशेष तौर पर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तक इसके लाभ पहुंच सकें और अंतोदय सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सके। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में विशेष तौर पर "सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खास तौर पर देश के सबसे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में मजबूत बनाने" के लिए कदम उठाने और "अनाज की कमी वाले इलाकों में अनाज बैंक स्थापित करने" का आश्वासन दिया गया था। किन्तु बजट में अन्तोदय अथवा बीपीएल के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया। ग्रामीण अनाज बैंक के लिए कुल आबंटन केवल 15.21 करोड़ रुपए किया गय है।

5.5 भले ही गेहूं और चावल के वादा व्यापार पर पाबंदी लगाने के लिए देर से कदम उठाया गया किन्तु प्रश्न तो यह है कि जब स्थायी संसदीय समिति ने स्पष्ट शब्दों में सभी कृषि उत्पादों के भावी वादा व्यापार को रद्द करने की सिफारिश की थी तब केवल दो उत्पादों पर ही यह पाबंदी क्यों लगाई गई है? इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए अलग से एक और समिति का गठन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या स्थायी संसदीय समिति वित्त मंत्रालय की ओर से गठित समिति से कमतर है?

5.6 बजट में मूल्य के साथ *बदलते शुल्क ढांचे* में बदलाव बिना ही पेट्रोल और डीज़ल पर आबकारी शुल्क की दर में मामूली कमी की गई है। यदि वित्त मंत्री वास्तव में ही मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में गम्भीर थे तब उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों पर पहले से ही सिकुड़े कर ढांचे का यौक्तिकी करण करना चाहिए था और इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे। वर्तमान में एविएशन टरबाईन फ्यूल (एटीएफ) पर डीज़ल से भी कम केन्द्रीय आबकारी शुल्क लागू है। एटीएफ पर केन्द्रीय आबकारी शुल्क 2.23 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगाया गया है जबकि डीज़ल पर यह 4.85 रुपए प्रति लीटर है और वह भी रोड सैस के 2 रुपए को कम करके। करों का मौजूदा ढांचा आम आदमी पर बोझ डालता है और हवाई यात्रा करने वालों की सहायता करता है! मूल्य के साथ बदलते शुल्क ढांचे को समाप्त करके करों की पूरी संरचना में बदलाव लाया जाना चाहिए और इस तरह आबकारी शुल्क में कमी लाई जाए जिसका मूल्यों की स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर बड़ी सब्सिडियां दिए जाने का शोर बहुत मचाया जाता है पर इसके बावजूद बजट आंकड़े दर्शाते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी पहले से कम हुई है। पिछले वर्ष इन पर 3080 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी और इस वर्ष उसे कम करके 2840 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

6. रोजगार

6.1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की ओर से रोजगार एवं बेरोजगारी पर हाल ही में कराए गए दो पंच वर्षीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 1999–2000 में बेरोजगारी की दर का अनुमान 7.32 प्रतिशत था (55 वें चक्र में) जो 2004–2005 में बढ़ कर 8.30 प्रतिशत (61वें चक्र में) हो गया है। इस पश्ष्ठभूमि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कम से कम 300 जिलों में लागू करने की बजाए जैसा कि मांग की जा रही थी, वित्त मंत्री ने इसे केवल 130 और जिलों में लागू किया है और उन्होंने इसके लिए बजट राशि का आबंटन 700 करोड़ रुपए कर दिया है; यह हास्यास्पद है।

6.2 संगठित क्षेत्र का रोजगार सार्वजनिक तथा निजी दोनों में कुल मिला कर 2004 में 26.442 मिलियन था और वर्ष 2005 में बढ़ कर 26.458 मिलियन हो गया है। इसमें केवल 16000 की मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति

उस समय की है जब रोजगार केन्द्रों में 31–8–2005 को दर्ज बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ थी। वर्ष 2005 के दौरान रोजगार के चाहवान 39 लाख लोगों ने अपने नाम रोजगार केन्द्रों में दर्ज कराए थे। अनेक लोगों की ओर से असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने का दावा किया जा रहा है। किन्तु यह पूरी हकीकत को बयान नहीं करता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक प्रमुख तौर पर अर्ध-रोजगारी और गरीबी की स्तर के वेतनों के पीड़ित होते हैं।

6.3 इसके अलावा न्यायपालिका तथा प्रशासन की ओर से लागू की पाबंदियां और लगाए गए अंकुशों की गाज अधिकतर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या पर गिरती है जैसे प्रमुख महानगरों में फेरी लगाने वाले और विक्रेता इत्यादि; यदि इन अंकुशों एवं पाबंदियों को पूरी तरह लागू किया जाए तो रोजगार क्षति और अधिक व्यापक एवं विशाल हो जाएगी। यदि हम गलत नहीं तो इस तरह के काम धंधे करने वाले श्रमिकों को कानून तोड़ने वाले लोग मान लिया जाएगा और प्रशासन की ओर से उनका उत्पीड़न किया जाएगा तथा बात–बात पर हैरान परेशान किया जाएगा। न्यायपालिका ने हाल ही में दिल्ली की सड़कों एवं गलियों की पटरियों पर खाने की वस्तुएं बेचने पर पाबंदी लगा दी है और इसी तरह की पाबंदी रेल डिब्बों में घूम फिर कर सामान बेचने पर भी लगा दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर इस तरह के हमले बदस्तूर किए जा रहे हैं।

7. खुदरा व्यापार का नैगमकरण

7.1 देश में कृषि के बाद रोजगार के दूसरे सबसे बड़े स्रोत खुदरा व्यापार का तेजी से नैगमकरण किया जा रहा है; यह एक और गम्भीर हमला है। देश भर में कुकुरमुत्तों की भांति पैदा हो रहे शापिंग माल्स, विराट डिपार्टमैंटल स्टोर, बिग बाजार इत्यादि के साथ खुदरा व्यापार में नैगमकरण की प्रक्रिया पहले ही काफी आगे बढ़ चुकी है। नैगमकरण की यह प्रक्रिया निजी व्यापारियों जिनमें बहुराष्ट्रीय कम्परियां भी शामिल हैं, को देश के कृषि बाजार का शोषण करने की अनुमति दिए जाने से निकट रूप से जुड़ी हुई है। नैगमीकृत खरीद एवं आपूर्ति की श्रृंखला बन जाने के परिणामस्वरूप नैगम खुदरा व्यापारी तथा खदीददार मिल कर उपभोक्ताओ तथा तृणमूल स्तर के उत्पादकों से अपनी शर्तें मनवाने लग जाएंगे; उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित दाम नहीं मिलेगा और उन्हें नाक के बल उनके सामने झुकना पड़ेगा और गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इसके दुष्परिणामस्वरूप करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेताओं की आजीविका समाप्त हो जाएगी। इन गरीब लोगों को इसके लिए कोई मुआवजा भी नंहीं मिलेगा और देश में बड़े स्तर पर बड़े–बड़े खुदरा प्रतिष्ठान खुल जाएंगे।

7.2 यूपीए सरकार खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर दे रही है; नैगमकरण की सेंध तो पहले ही लग चुकी है; इसके कारण इस क्षेत्र में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी इस क्षेत्र में आने के लिए बाजू लहरा रही हैं और यदि वे आ जाती हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उजड़ जाएंगे ओर हमारे देश में आपूर्ति की पूरी श्रृंखला पर विदेशियों का कब्जा हो जाएगा।

8. श्रम अधिकारों पर हमले

8.1 श्रम कानूनों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है और श्रमिक संघों पर हमलों पर हमले हो रहे हैं। सरकारी तंत्र की शह पर कर्मचारियों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। इसका उल्लेख बारहवें महाधिवेशन की रिपोर्ट में भी किया गया था। उसके बाद भी स्थिति बदली नहीं है। इस मध्यावधि में विभिन्न सेक्टरों के श्रमिकों एवं कर्मचारियों की ओर से संयुक्त संघर्ष की अनेक कार्रवाईयां की गई और ये कार्रवाईयां अधिकतर सेवायोजकों की ओर से बुनियादी श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ की गई हैं।

8.2 पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूरों ने दो महीनों से अधिक समय तक बहादुरी के साथ हड़ताल की कार्रवाई की। यह कार्रवाई बुनियादी तौर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने के मामले में सेवायोजकों की ओर से त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन किए जाने और भविष्य निधि एवं ईएसआइ इत्यादि का भुगतान करने के मामले में मालिकों की कोताही के खिलाफ की गई थी। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के श्रमिकों ने अपनी–अपनी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर तीन दिन की हड़ताल का नोटिस दिया है; यह हड़ताल देश के कानून का उल्लंघन करके भयानक स्तर पर की जा रही आउटसोर्सिंग के खिलाफ की जा रही है।

8.3 नदरन कोल फील्डस् के श्रमिक भी संविदाकरण तथा आउटसोर्सिंग के खिलाफ हड़ताल करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी पेट्रोलियम कम्पनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के

कर्मचारियों ने प्रबंधन की वादा खिलाफी के विरुद्ध 18 अप्रैल, 2007 को देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई की थी। प्रबंधन की ओर से गैर कानूनी हथकण्डे अपनाए गए और आठ दिनों का वेतन काट लेने की धमकियां दी गई किन्तु कर्मचारियों ने इनकी परवाह न करते हुए बहादुरी के साथ हड़ताल का संघर्ष किया। हिमाचल प्रदेश में चमेरा–III पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों ने प्रधान नियोक्ता तथा बदनाम ठेकेदार कम्पनी हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एचसीसी) दोनों को न्यूनतम वेतन तथा दूसरी कानूनी सेवा लाभ देने पर मजबूर कर दिया। कम्पनी के सभी श्रमिकों ने 28 मार्च 2007 से चार दिन तक चली हड़ताल में भाग लिया।

8.4 शराब बनाने वाली देश की अग्रणी कम्पनी मोहन मीकन्स के गाजियाबाद स्थित प्रबंधन की ओर से यूनियन बनाने पर सीआइटीयू नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां की गई। श्रमिकों ने इसका करारा जवाब दिया और सेवायोजक को प्रतिशोध की कार्रवाईयां बंद करनी पड़ीं। पटपड़गंज, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक इस समय भी सेवायोजक–प्रशासन गठबंधनों के हमलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इन गठबंधनों ने कामकाजी स्थलों पर जंगल का राज कायम कर रखा हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण देखने–सुनने को मिल रहे हैं।

8.5 सिगरेट एवं तम्बाकू के दूसरे उत्पादों (निषेधाज्ञा इत्यादि) अधिनियम 2003 बन जाने के फलस्वरूप बीड़ी उद्योग में संटक की एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है और देश भर में कई लाख बीड़ी श्रमिकों पर इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अधिनियम के विशेष अनुच्छेदों में 'कानूनी चेतावनी' का प्रावधान किया गया है; व्यावहारिक तौर पर इस 'कानूनी चेतावनी' पर अमल किया ही नहीं जा सकता। किन्तु इसने बीड़ी उद्योग को भयानक सीमा तक अलाभकारी स्थिति में धकेल दिया है और सेवायोजकों की ओर से इसका पूरा बोझ लाखों श्रमिकों के कंधों पर डाला जा रहा है। सीआइटीयू के नेतश्त्व वाली फैडरेशन सहित बीड़ी श्रमिकों के सम्पूर्ण आंदोलन ने अधिनियम के इस तरह के कुछ अनुच्छेदों जो न केवल अव्यावहारिक हैं अपितु उन पर अमल किया ही नहीं जा सकता, का विरोध किया है। अधिनियम में इस तरह के अव्यावहारिक प्रावधानों में संशोधन करने की मांग करते हुए तपन सेन संसद सदस्य ने 27 अप्रैल, 2007 को राज्य सभा में निजी विधेयक पेश किया था। दूसरी ओर बीड़ी उद्योग के नियोक्ता चाहते हैं कि इस अधिनियम को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। बीड़ी श्रमिकों की संयुक्त संघर्ष समिति पहले ही इसके खिलाफ आंदोलन चलाती रही है और भविष्य में भी संघर्ष करने की योजना बना रही है। बीड़ी मालिकों की एसोसिएशन ने 5 मई 2007 से पूरे देश में उद्योग में एक तरह से तालाबंदी कर रखी है; उन्होंने यह कदम हड़ताल को बहाना बना कर उठाया है; यह हड़ताल खुद बीड़ी मालिकों की एसोसिएशन ने की थी और प्रधान मंत्री से कुछ आश्वासन मिलने पर उसने इसे वापस ले लिया था और इस तरह यह हड़ताल 11 मई तक जारी रही थी। आल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन ने बीड़ी मालिकों की इस तथाकथित हड़ताल का विरोध किया था जिसके दुष्परिणामस्वरूप लाखों बीड़ी श्रमिकों को अपनी आय की क्षति झेलनी पड़ी थी। इससे पूर्व फैडरेशन ने इस स्थिति पर पूरे विस्तार में विचार विमर्श करके यह फैसला किया था कि इस मुद्दे पर नियोक्ता एसोसिएशन के साथ संयुक्त मंच में शामिल न हुआ जाए और ट्रेड यूनियन मंच से अपने संघर्ष को जारी रखा जाए। सीआइटीयू ने फैडरेशन के इस फैसले का अनुमोदन किया था। अब विभिन्न केन्द्रों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि बीड़ी मालिकों की एसोसिएशन बीड़ी श्रमिकों तथा उनकी यूनियनों पर अपने मंच में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही है और इसके लिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही बीड़ी मालिक 1 जून, 2007 से उद्योग को बंद करने की धमकियां भी दे रहे हैं। बीड़ी श्रमिकों के आंदोलन को मालिकों के इस दबाव और उत्पीड़नकारी हथकण्डों का डट कर मुकाबला करना होगा। उन्हें अपनी दस सूत्रीय मांगों जिनका निर्धारण संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पहले ही किया जा चुका है, पर संयुक्त संघर्ष चलाना होगा। दस सूत्रीय मांगों में सम्बन्धित अधिनियम से उन अव्यावहारिक और अमल न किए जाने योग्य प्रावधानों को हटाने की मांग भी शामिल है जिनके अन्तर्गत बीड़ी उत्पादों पर 'कानूनी चेतावनी' का प्रकाशन किया जाता है।

8.6 इसी प्रकार, पिछले दरवाजे से श्रम कानूनों को बदलने की कार्रवाई जोर शोर से की जा रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स् लिमिटेड और एइस्को की कोलियरियों को केन्द्रीय सरकार की ओर से पांच वर्षो के लिए संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) का पालन किए जाने से मुक्त कर दिया है – खुद सरकार की ओर से कोयला उत्खनन की कार्रवाईयों में गैर कानूनी ढंग से संविदा श्रमिकों को रखे जाने पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को बेड़ों, शोर स्टेशनों तथा सर्वेक्षण दलों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 13 तथा 14 से मुक्त कर दिया गया है और सरकार द्वारा इसके लिए अधिसूचना तक जारी कर दी गई। ये सभी कार्रवाईयां संसद को दर किनार करके कार्यपालिका के माध्यम से कानून को बदलने की बजाए बुनियादी श्रम कानूनों के उल्लंघन को कानूनी जामा पहनाने के अलावा और कुछ नहीं हैं।

8.7 इस तरह की अनेक दूसरी कार्रवाईयां की जा रही हैं जो सेवायोजकों की श्रेणी को श्रमिकों के प्रति उनकी बुनियादी जिम्मेदरियों से उन्हें मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से हताशा में उठाए जा रहे कदमों को

प्रतिबिम्बित करती हैं। वे लोग क्योंकि वाम दलों और श्रमिक संगठनों के विरोध के चलते श्रम कानूनों में बदलाव लाने में विफल रहे हैं इसलिए अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस तरह का शार्ट कट अपना रहे हैं। हमें श्रम कानूनों में बदलाव लाने के लिए की जा रही इन षडयंत्रकारी कार्रवाईयों का अपनी पूरी दृढ़ता के साथ प्रतिकार करना होगा। इस तरह की कार्रवाईयां कामकाजी स्थलों तथा राष्ट्रीय स्तर पर साथ ही साथ की जा रही हैं।

9. भारतीय श्रम सम्मेलन का 41 वां सत्र

9.1 कुल मिला कर यही वह पश्ठभूमि थी जिसमें भारतीय श्रम सम्मेलन के 41 वें सत्र का आयोजन 27–28 अप्रैल, 2007 को किया गया था। सत्र की कार्यसूची में विचार के लिए "प्रभावी कार्यान्वयन के लिए श्रम कानूनों को मजबूत बनाना और उनके उल्लंघन को रोकना" को मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल किया गया था। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के पूरी ताकत के साथ इस पर जोर दिए जाने के कारण ही यह सम्भव हो पाया था। कार्यसूची में शामिल किए गए दूसरे मुद्दों में संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और युवाओं में रोजगार परकता बढ़ाने के कदम इत्यादि शामिल थे।

9.2 प्रधान मंत्री ने आइएलसी में अपने उद्घाटन भाषण का समापन श्रमिक संगठनों को सम्बोधित करते हुए इन शब्दों में किया था, "पहले से काम कर रहे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ–साथ नए रोजगार के सृजन के लिए प्रतिबद्ध रहने" के उद्गार के साथ किया था। प्रधान मंत्री ने 19 अगस्त, 2006 को श्रमिक संगठनों के नेताओं के साथ अपनी बैठक में पूरे जोर से साथ कहा था, "आपने श्रम कानून लागू किए जाने और कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने के महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। ये कानून भी दूसरे कानूनों की भांति हमारे देश के कानून हैं और दूसरे कानून की भांति इन पर भी अमल किया जाना चाहिए।" किन्तु आइएलसी की बैठक में उन्होंने श्रम कानूनों के मामले मे सेवायोजकों को एक शब्द भी कहना जरूरी नहीं समझा।

9.3 आइएलसी की बैठक में सीआइटीयू की ओर से दिए गए प्रतिवेदन को हम इसी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं। यह प्रतिवेदन सूचना परक है और श्रमिकों के बीच अभियान चलाने के काम में इसका उपयोग किया जा सकता है।

9.4 इस बात का उल्लेख करना रुचिकर होगा कि बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न राज्य सरकारों – यहां तक कि गैर–वाम दलों के शासन वाले राज्यों – के प्रतिनिधियों ने श्रम कानूनों का पालन न किए जाने पर चिंताएं व्यक्त की थीं। उन्होंने बताया कि कामकाजी स्थलों में सेवायोजकों को अनुशासित रखने के लिए श्रम कानूनों को लागू करने वाला सरकारी तंत्र काफी नहीं है। केरल के श्रम मंत्री पी के गुरदासन का कहना था श्रम कानूनों को सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए और इसे यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कानून लागू कराने वाले सरकारी तंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में श्रम कानूनों के पालन के मामले में खुद मालिक लोगों को आत्म प्रमाणन का अधिकार दे दिया गया है। उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मृणाल बनर्जी ने सुझाव दिया, "सभी श्रम कानूनों में रिकवरी आफिसर के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए; रिकवरी आफिसर की नियुक्ति श्रम विभाग द्वारा की जाए। यह रिकवरी आफिसर सेवायोजकों से श्रमिकों की बकाया राशियों की वसूली करे और इसके लिए रिकवरी आफिसर को उनकी सम्पत्तियां कुर्क करने, सेवायोजकों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें नजरबंदी में रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए इत्यदि इत्यादि।" उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल विधान सभा पहले ही इस तरह का विधेयक पारित कर चुकी है जिसमें इसी तरह के प्रावधान रखे गए हैं; इस समय यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है।

9.5 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के मुद्दे पर इन सिफारिशों के लिए प्रकट रूप में सर्वानुमति पाई गई जिनमें कहा गया था कि बोनस की गणना तथा पात्रता की सीमा 3500 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दी जाए।

9.6 संविदा श्रम अधिनियम तथा युवाओं की रोजगार परकता पर सत्र की समितियों में हुई बहस का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका।

10. यूपीए सरकार तथा मजदूर

10.1 यूपीए सरकार ने माडल स्टैंडिंग आर्डरस में "सावधि श्रमिक" के नए वर्गीकरण को लागू करने वाली अधिसूचना को निरस्त करने का आश्वासन दिया था; बार–बार इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर भी उसने अपने

आश्वासन को पूरा नहीं किया है।

10.2 प्रधान मंत्री के साथ 19 अगस्त, 2006 को सम्पन्न अपनी बैठक में सीआइटीयू ने सूचकांक समीक्षा समिति का गठन करने की जोरदार मांग की थी और इसके जवाब में प्रधान मंत्री ने इस समिति का गठन करने का आश्वासन दिया था।

10.3 सरकार ने मनमाने तौर पर समिति में श्रमिक संघों के दो प्रतिनिधियों को शामिल करने का फैसला किया है। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने एक पत्र भेज कर सरकार से समिति में श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने एक बार फिर मनमानी कार्रवाई करते हुए सूचकांक समीक्षा समिति का गठन कर दिया और उसमें श्रमिक संगठनों के केवल दो प्रतिनिधियों को शामिल किया गया (वह भी इंटक तथा भारतीय मजदूर संघ में से)। श्रम ब्यूरो, शिमला के महानिदेशक जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दोषपूर्ण श्रृंखला के लिए जिम्मेदार थे, को इस समिति का सदस्य सचिव बना दिया गया। सूचकांक समीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को सरकार की ओर से श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किए बिना अंतिम रूप दे दिया गया। ये कपोल काल्पनिक और दोष पूर्ण हैं। इसका परिणाम शून्य के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा।

10.4 सरकार ने खेतिहर श्रमिकों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने का आश्वासन दिया था। उसने अपने ही आश्वासन से मुंह फेर रखा है। इसी तरह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के मामले में भी किया गया; इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से अनेक मसौदे जारी करके उसने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना लागू करने के अपने विचार को आगे बढ़ाया; दूसरे शब्दों में वह उपरोक्त कानून बनाने के अपने आश्वासन को ताक पर रख कर यह कानून बनाना चाहती है। श्रमिकों को कम से कम नाम के लिए ही सही कुछ राहत तो मिल सके इसके लिए श्रम कानूनों में संशोधन से सम्बन्धित अनेक मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जबकि उन पर त्रिपक्षीय समिति में सर्वानुमति बन चुकी थी। इन बातों पर हम यहां विस्तार में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आइएलसी के 41वें सत्र में सीआइटीयू की ओर से पेश किए गए प्रतिवेदन में विस्तार से इसकी चर्चा की जा चुकी है।

10.5 कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में बैंकों की ब्याज दरों में तीखी बढ़ोतरी होने पर भी सरकार 9.5 प्रतिशत ब्याज दर को बहाल करने की उचित मांग को भी मानने से इन्कार कर रही है। इसकी बजाए, वह मौजूदा ब्याज दर 8.5 प्रतिशत को भी कम करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री महोदय तो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अंशदानों के संचित कोष को सट्टा बाजार में लगाने के लिए व्यग्र हो रहे हैं।

10.6 यद्यपि छटे वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है इस पर भी सरकार कर्मचारियों की अंतरिम राहत देने की उचित मांग को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा सरकार इस मामले में किसी तरह की कोई प्रतिबद्धता व्यक्त किए बिना ही अपना कार्यकाल पूरा कर ले इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है।

10.7 सरकारी कर्मचारियों – केन्द्रीय तथा राज्यों दोनों के – ने नयी पेन्शन योजना के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर दिया था; यह योजना ही संदेह से भरी हुई है जिसे 2004 के बाद सरकारी सेवाओं में भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है। यद्यपि वाम दलों के जोरदार विरोध के चलते संसद में पेन्शन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक का पारित हो पाना खटाई में पड़ गया है फिर भी सरकार ने अध्यादेश जारी करके इसे लागू कर दिया था। सभी वाणिज्यक बैंकों के कर्मचारी तथा अधिकारी इस मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनके लिए 1993 में लागू पेन्शन योजना जिसका विकल्प उन्होंने चुना था, ही लागू की जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कर्मचारियों ने भी अपने लिए उसी योजना तथा दूसरे सेवा लाभों को लागू करने पर जोर दिया है जो इस समय वाणिज्यक बैंकों में चल रही है। इन सभी मुद्दों पर सरकार का रुख उदासीन बना हुआ है।

10.8 रेलवे में लोको रनिंग स्टाफ के कर्मचारी और गार्ड अब भी लम्बे समय तक काम करने पर मजबूर हैं। उनके कामकाजी घण्टों के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं की गई। इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि लगातार 13 घण्टे तक काम करने पर भी राहत देने की मांग करने वाले कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया।

10.9 इस सभी मामलों में यूपीए सरकार का कुल मिला रुख यह है कि वह एक ओर तो सेवायोजकों की श्रेणी को हर तरह से खुश करने के चक्कर में रहती है जबकि दूसरी ओर वह श्रमिक वर्ग की उचित मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।

10.10 हमें इन सभी हमलों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा और अपने संयुक्त प्रतिरोधी संघर्षों के माध्यम से उनका प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार करना होगा।

11. हमारे कार्य

11.1 हम सीआइटीयू के ग्यारहवें महाधिवेशन के समय से ही सीआइटीयू की ओर से मध्यावधि में चलाई गई गतिविधियों की रिपोर्ट अलग–से पेश करते रहे हैं। इस पर भी हम यहां उल्लेख करना चाहेंगे कि हमने अपने बेंगलूरू महाधिवेशन के बाद की अवधि में इसके लिए कुछ बुनियादी पहलकदमियां की हैं।

11.2 बारहवें महाधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार सीआइटीयू, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से दस सूत्रीय मांग पत्र के लिए 18 अप्रैल, 2007 को मांग दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इससे पहले पूरे एक महीने तक तश्णमूल स्तर पर संयुक्त अभियान चलाया गया जिसमें राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन भी शामिल है। मांग दिवस पर पूरे देश में जगह–जगह रैलियों, प्रदर्शनों तथा जुलूसों का आयोजन किया गया था।

11.3 बारहवें महाधिवेशन में लिए गए निर्णयों के क्रम में ही सीआइटीयू ने आगामी संघर्ष की तैयारी करने के उद्देश्य से सार्वजनिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों के एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन करने के लिए पहलकदमी की थी। सार्वजनिक इकाईयों में सक्रिय सीआइटीयू की यूनियनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र श्रमिक संघों की समिति (सीपीएसटीयू) के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन नयी दिल्ली में 10 तथा 11 मार्च, 2007 को किया गया था। देश में अधिकांश सार्वजनिक इकाईयों में सक्रिय सीआइटीयू, एटक, एचएमएस से सम्बद्ध श्रमिक संघों और बंगलौर एवं हैदराबाद से स्वतंत्र श्रमिक संघों ने इस संयुक्त सम्मेलन में व्यापक भागीदारी की थी। सम्मेलन में एक घोषणा पत्र पारित करके वेतन संशोधन तथा सार्वजनिक इकाईयों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने का फैसला किया गया था। उल्लेखनीय है कि 10 मार्च, 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन नयी दिल्ली में किया गया था; इस सम्मेलन में 350 संविदा श्रमिकों तथा उनके नेताओं ने भाग लिया था जो पूरे पेट्रोलियम क्षेत्र से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। इस सम्मेलन का आयोजन पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस वर्कर्स फैडरेशन आफ इंडिया की पहलकदमी पर किया जा सका था। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों के एक संयुक्त प्रदर्शन का आयोजन 12 मार्च को नयी दिल्ली में किया गया; यह प्रदर्शन केन्द्रीय श्रम मंत्री के कार्यालय के सामने किया गया था। प्रदर्शन के बाद सीपीएसटीयू के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की मांगों पर आधारित मांग पत्र भेंट किया गया।

11.4 आल इंडिया डिफैंस वर्कर्स फैडरेशन के साथ प्रतिरक्षा सेक्टर के उद्यमों में सक्रिय यूनियनों के एक अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन बंगलौर में किया गया जिसमें रक्षा उत्पादन की इकाईयों में निजी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने और नैगमकरण के रास्ते प्रतिरक्षा उपक्रमों का निजी करण करने के लिए चल रही कोशिशों के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई गई और आंदोलन की रणनीति तैयार की गई।

11.5 निजी सुरक्षा एजेंसियों में सक्रिय यूनियनों के नेताओं के साथ अखिल भारतीय स्तर पर विचार विमर्श करके सुरक्षा कर्मियों की यूनियनों के नेताओं की एक बैठक 2 जुलाई, 2007 को बुलाने का फैसला किया गया। इस बैठक का आयोजन अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में किया जा रहा है।

11.6 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की मांगों पर देशव्यापी सघन अभियान चलाने के लिए महासधिवेशन में निश्चित की गई नीति के अनुसार संघर्ष की योजना बनाने के उद्देश्य से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक यहां कोलकाता में ही 31 मई, 2007 को होने जा रही है।

12. मछुआरों तथा मत्स्य पालन श्रमिकों का अखिल भारतीय सम्मेलन

12.1 मछुआरों तथा मत्स्य पालन श्रमिकों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 24–25 मार्च, 2007 को तिरुवनंथपुरम में किया गया। सम्मेलन में आठ राज्यों – आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल – के 281 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें से 27 महिला प्रतिनिधि थीं। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे तथा एआइकेएस के महासचिव के वरद राजन ने सम्मेलन में भाग लिया तथा कार्रवाई के संचालन में मार्ग दर्शन किया।

12.2 मत्स्य पालन सेक्टर समुद्री बेडों और देश के भीतर मत्स्य पालन केन्द्रों के माध्यम से 75 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ कराता है। लगभग तीन करोड़ लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या में लगभग 30 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं हैं। मत्स्य पालन से जुड़े श्रमिक एवं मछुआरे आम तौर पर सामाजिक तौर पर दबी–कुचली तथा आर्थिक

रूप से शोषित श्रेणियों से सम्बन्ध रखते हैं। हमारे देश में मछुआरों तथा मत्स्य पालन के काम धंधों में लगे श्रमिकों की जीवन तथा कामकाजी स्थितियां अत्यंत शोचनीय हैं। वे एक जुझारू श्रेणी हैं ओर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तत्पर रहते हैं। उनकी विशाल संख्या और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रकृति को देखते हुए सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे पूरी गम्भीरता के साथ उन्हें संगठित करने के लिए प्रयास करें।

12.3 यह फैडरेशन मछुआरों तथा मत्स्य पालन के काम धंधों में लगे श्रमिकों के संगठनों पर आधारित है जिसका मार्गदर्शन एआइकेएस, सीआइटीयू तथा दस्तकारों का संगठन करता है और ये इन संगठनों के साथ सम्बद्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में उनके कुछ संगठनों का मार्ग दर्शन एआइकेएस करती है; आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में ये दस्तकार संगठन के साथ मिल कर काम करते हैं जबकि केरल, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में इन्हें सीआइटीयू की ओर से संगठित किया जाता है। यह फैसला किया गया कि नयी फैडरेशन दिल्ली स्थित सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय से अपना काम करेगी।

12.4 सम्मेलन में एक 32 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का चुनाव किया गया। समिति की ओर से बाद में 13 पदाधिकारियों को चुना गया। पीतबसन दास, हेमलता तथा नुरुल हुदा को क्रमवार अध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष चुन लिया गया। कुछ स्थान रिक्त रखे गए हैं ताकि उन राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जा सके जहां मछुआरों तथा मत्स्य पालन के काम धंधों में लगे श्रमिकों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है।

12.5 फैडरेशन की पहली बैठक 25 जून 2007 को विशाखापत्तनम में होगी।

12.6 यह बताया गया कि उन राज्यों जिनका प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में हुआ था, के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में हमारे सम्पर्क हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियनें मत्स्य प्रसंस्करण के काम में लगे श्रमिकों के बीच काम कर रही हैं। उनमें से अधिकांश प्रवासी श्रमिक होते हैं जिनका सेवायोजकों की ओर से बुरी तरह शोषण किया जाता है। सीआइटीयू की राज्य समितियों को श्रमिकों की इस विशाल श्रेणी – मछुआरों तथा मत्स्य पालन के काम से जुड़े दोनों – को संगठित करने के लिए कोशिशें करनी चाहिएं।

13. आंगनवाड़ी कर्मचारी

13.1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ की ओर से 8 मई, 2007 को सफलतापूर्वक संसद की ओर मार्च का आयोजन किया गया था। इस मार्च में प्रमुख तौर पर पड़ोसी हिन्दी भाषी राज्यों की भागीदारी रही (उत्तर प्रदेश से लगभग 1,000) ; यह बेहद महत्त्वपूर्ण और उत्साहवर्धक घटना है। उन सभी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में जाकर गिरफ्तारी दी।

13.2 महासंघ अर्थात् फैडरेशन ने 10 जुलाई, 2007 को मांग दिवस मनाने के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने का फैसला भी किया है। उसकी ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उस दिन रास्ता रोको कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, जुलूसों, धरनों तथा पुतले जलाने के कार्यक्रमों का आयोजन परियोजना स्तर पर करने का आह्वान किया गया है। सीआइटीयू की राज्य समितियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संघर्ष के इन कार्यक्रमों को जोरदार सफलता दिलाने के लिए आंगनवाड़ी महिलाओं की हर तरह से मदद करें।

13.3 हमारा अनुभव दर्शाता है कि जब कभी भी हम आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करते रहे हैं, तब–तब उनकी ओर से इसका जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया जाता रहा है। अधिकांश हिन्दी भाषी राज्यों जहां सीआइटीयू अधिक मजबूत नहीं है, उनके जुझारू संघर्ष होते देखे गए हैं। यह हमारा अनुभव है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण एवं शिक्षा दिए जाने के फलस्वरूप सीआइटीयू की कार्यकर्ताओं के तौर पर उनका विकास किया जा सकता है। इससे गांव और बस्ती स्तर पर सीआइटीयू के अभियानों और कार्यक्रमों के आयोजन में जबरदस्त सहायता मिलेगी।

13.4 इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में उपयुक्त कार्यकर्ताओं को लगाया जाए और उनकी यूनियन पर समुचित ध्यान दिया जाए यह बात सीआइटीयू की राज्य समितियों को यकीनी बनानी होगी।

14. कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू)

14.1 सीआइटीयू में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या में 22 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। यह बात हम बारहवें महाधिवेशन में बता चुके हैं। महाधिवेशन में यह रेखांकित भी किया गया था कि अनेक श्रमिक संघ

अपनी वार्षिक विवरणियां भेजते समय महिला सदस्यों की संख्या का विशेष उल्लेख नहीं करते। इस कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए और सीआइटीयू की राज्य समितियों को यकीनी बनाना चाहिए कि भेजी जाने वाली वार्षिक विवरणियों में महिलाओं की सदस्य संख्या समुचित ढंग से प्रतिबिम्बित हो।

14.2 महिलाओं की सदस्य संख्या और सीआइटीयू की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ वर्षो से बढ़ी है। निश्चित तौर पर स्थानीय, जिला तथा कुछ सीमा तक राज्य स्तर के नेतश्त्व में कुछ और महिलाओं को देखा जा सकता है। किन्तु हमें इसे सुनिश्चित बनाने के लिए कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) तथा विभिन्न राज्य समितियों की भूमिका का आंकलन करना होगा। यह जरूरी है कि कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम के लिए सीआइटीयू की राज्य समितियों की ओर से दिए जा रहे ध्यान की समीक्षा की जाए। वर्तमान में भी सीआइटीयू की अनेक राज्य समितियों में यह प्रभाव पाया जा रहा है कि एक बार सम्मेलन हो जाने और समन्वय समिति का गठन हो जाने पर उनका काम समाप्त हो जाता है; वे कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के सक्रिय न होने का ठीकरा वे समिति के संयोजक और समिति के सिर फोड़ देते हैं। यह कमजोरी अब भी पाई जा रही है। इसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है।

14.3 कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों के संयोजकों के साथ सीआइटीयू की राज्य समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक जितना जल्दी हो सके बुलाई जानी चाहिए ताकि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) के लक्ष्यों, संरचना तथा कार्यों के बारे में एक सामान्य सोच एवं समझदारी का विकास किया जा सके। इस सम्बन्ध में इस वर्ष 14 अगस्त को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने का सुझाव दिया गया है। जनरल कौंसिल को इस कार्यशाला की तिथियां निश्चित करनी होंगी। राज्य समितियों विशेष तौर पर पश्चिम बंगालख केरल तथा त्रिपुरा जैसी मजबूत समितियों को यकीनी बनाना चाहिए कि इस कार्यशाला में होने वाली कोई भी बहस सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण हो और कार्यशाला किन्हीं ठोस निष्कर्षो पर पहुंच सके।

14.4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ अथवा फैडरेशन जिसे संगठित करने के लिए सीआइटीयू ने 1989 में पहलकदमी की थी, आज एक मजबूत अखिल भारतीय संगठन बन चुकी है। इसके अलावा यह और अधिक मजबूत होती चली जा रही है। हमें कुछ दूसरे क्षेत्रों जहां महिलाओं की बड़ी संख्या काम करती है जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मिड–डे मील कर्मचारी, घरेलू काम धंधों में लगे श्रमिक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत काम करने वाले कार्यकर्ता तथा आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) इत्यादि में भी कामकाजी महिलाओं की पहचान करके उन्हें संगठित करना होगा। जहां सीआइटीयू की अनेक राज्य समितियां इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को संगठित कर रही हैं वहीं मौजूदा चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य श्रमिकों तथा मिड–डे मील कर्मचारियों के संगठनों के बीच पारस्परिक समन्वय को विकसित करने के लिए जी तोड़ कोशिशें करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मिड–डे मील कर्मचारियों के बीच काम करने वाले सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जितना जल्द हो सके किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के समन्वय का और विकास हो सके।

15. संगठन पर

15.1 श्रम मंत्रालय की ओर से श्रमिक संगठनों की सदस्यता के सत्यापन का काम चल रहा है; यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। किन्तु इसी बीच मीडिया में इस तरह के समाचार फैला दिए गए जिनमें केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता के परिणाम दर्शाए गए थे। इन परिणामों में यह बताय गया कि सीआइटीयू तीसरे स्थान से सरक कर पांचवें स्थान पर आ गया है। स्थायी समिति में सीआइटीयू के प्रतिनिधि तथा कोषाध्यक्ष रणजीत बसु ने इस पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को एक पत्र लिख कर पूछा था कि इस मामले में स्थायी समिति को अंधेरे में क्यों रखा गया जबकि इस तरह के समाचार मीडिया में दे दिए गए और उनका प्रसारण कराया गया। सीआइटीयू के सचिव तपन सेन ने भी राज्य सभा में एक प्रश्न के द्वारा यह मामला उठाया था। श्रम और रोजगार मंत्री ने उस प्रश्न के लिखित उत्तर में जहां यह स्वीकार किया था कि सामान्य सत्यापन की वर्तमान में जारी कार्रवाई के सामान्य परिणामों के बारे में कुछेक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि इसके परिणामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया, "सामान्य सत्यापन के परिणामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की आपत्तियां निमंत्रित की जाएंगी।"

15.2 जहां यह तथ्यात्मक स्थिति है वहीं हम इस बात की ओर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे कि हमारी अनेक यूनियनों ने केन्द्रीय श्रम तंत्र के सामने दस्तावेज पेश करने के लिए किए गए अनुरोधों का समुचित ढंग से प्रत्युत्तर नहीं दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे सदस्यों की काफी संख्या सत्यापन की प्रक्रिया से बाहर रह गई थी। हमारी राज्य समितियों ने नियमित रूप से वार्षिक विवरणियां भेजने; जरूरी रिकार्ड को सही तरह रखने और उन्हें समय-समय पर आद्यतन अथवा अपडेट करते और सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया पर पूरी गम्भीरता से ध्यान देते किन्तु उन्होंने इस बेहद जरूरी काम को के महत्त्व को कम करके देखने की कोशिश की है और उन्हें चाहिए था कि वे सम्बद्ध यूनियनों के साथ मिल कर राज्य में लगातार इसके लिए अथक प्रयास करते और लगातार इस पर नज़र रखते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

15.3 सम्बद्धता शुल्क का भुगतान वर्ष वार तत्परता से करने और उसके साथ सीआइटीयू केन्द्र को वार्षिक विवरणियों की प्रतियां भेजते रहने का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। हमारी यूनियनें में अब भी सम्बद्धता शुल्क वर्ष दर वर्ष जमा करते रहने और सीआइटीयू महाधिवेशन के समय उसे एक साथ जमा कराने की पुरानी आदत अब भी बनी हुई है। संगठन की दृष्टि से यह गलत काम है। इसका असर सीआइटीयू केन्द्र के काम पर भी पड़ता है। हमारी राज्य समितियों को इस स्थिति को सुधारने के लिए समुचित श्रम साध्य प्रयास करने होंगे।

15.4 हमारे सांगठनिक कार्यो का एक और चिंताजनक क्षेत्र राज्य समितियों तथा औद्योगिक महासंघों और सीआइटीयू केन्द्र के बीच नियमित पत्राचार का अभाव है। सीआइटीयू केन्द्र की ओर से भेजे जाने वाले परिपत्रों अथवा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित संघर्ष की कार्रवाईयों की रिपोर्ट तथा दूसरी गतिविधियों की रिपोर्ट केन्द्र को भेजने के मामले में राज्य समितियों का प्रत्युत्तर ठण्डा होता है। हमारे जैसे संगठन के लिए यह स्वस्थ्य संकेत नहीं है। जितना जल्द हम अपनी इन कमजोरियों को दूर करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा।

15.5 हम वर्तमान में सीआइटीयू वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट जिसे हाल ही तक कोलकाता इकाई ने चलाया था, अब सीआइटीयू केन्द्र की ओर से उसका संचालन किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि राज्य समितियां इस मामले में सक्रिय सहयोग देंगी और अपनी-अपनी रिपोर्ट समय पर हमें भेजती रहेंगी। सीआइटीयू वेबसाइट के कंटैंट्स में और सुधार लाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा।

16. सीआइटीयू की पत्रिकाएं

16.1 सीआइटीयू केन्द्र की ओर से चार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। 'द वर्किंग क्लास' अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है; उसकी प्रसार संख्या अथवा सर्कुलेशन केवल 4943 है; इसमें से 3712 प्रतियां सभी सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाती हैं और शेष 1060 प्रतियां ग्राहकों को भेजी जाती हैं (इनमें से 171 कम्पलीमैंटरी अथवा भेंट प्रतियां हैं)। हिन्दी में प्रकाशित 'सीटू मजदूर' की प्रसार संख्या अथवा सर्कुलेशन 6248 है; इसमें से 719 प्रतियां सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाती हैं और शेष 5470 प्रतियां ग्राहकों को भेजी जाती हैं (59 कम्पलीमैंटरी अथवा भेंट प्रतियां हैं)। इसमें अकेले पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1479 प्रतियां जाती हैं और दूसरे नम्बर पर हिमाचल प्रदेश में 1005 प्रतियां जाती हैं। इससे अधिकांश हिन्दी भाषी राज्यों में सीटू मजदूर के सर्कुलेशन की असल स्थिति का पता चल जाता है जिन्हें लाभान्वित करने के लिए सीआइटीयू केन्द्र की ओर से इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

16.2 सीआइटीयू पत्रिकाओं की स्थिति सर्कुलेशन के मामले में बेहद खराब है। यद्यपि हमारी कम से कम आठ राज्य समितियों (गैर हिन्दी भाषी) की ओर से अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। कभी-कभार ये राज्य समितियां सम्बन्धित राज्यों में 'द वर्किंग क्लास' और 'सीटू मजदूर' का सर्कुलेशन कम होने के कारण भी बताती हैं। किन्तु सीआइटीयू पत्रिकाओं की प्रसार संख्या अथवा सर्कुलेशन कम क्यों है? इसके लिए वे जो तर्क देते हैं वे अधिक ठोस नहीं होते।

16.3 यदि हम यह मान कर चलें कि राज्यों में कम से कम हमारे अग्र गण्य साथी पूरी गम्भीरता और दृढ़ता के साथ सीआइटीयू की पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका सर्कुलेशन राज्य समितियों, जिला समितियों और राज्य में प्रमुख यूनियनों एवं फैडरेशनों के पदाधिकारियों की मजबूती को ही प्रतिबिम्बित करेगा। अधिकांश राज्यों में हमारे सदस्य संख्या की दृष्टि से सीआइटीयू पत्रिकाओं की सर्कुलेशन के राज्य वार आंकड़े बेहद कम हैं। यह स्थिति हमारे भीतर पूर्ण जागरूकता के अभाव को दर्शाती है और दर्शाती है कि अधिकांश राज्यों में हमारा नेतश्त्व पत्रिकाओं के महत्त्व और खुद को तथा श्रमिकों की बड़ी संख्या को शिक्षित करने की दृष्टि से उनकी सम्भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संगठन का गुणात्मक विकास हो तो हमें अपनी

इस कमजोरी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने होंगे।

16.4 'वायस ऑफ वर्किंग विमन' के सर्कुलेशन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है; यह बढ़ कर इस समय लगभग 6,000 हो चुका है। सर्कुलेशन में यह बढ़ोतरी प्रमुख तौर पर केरल से राज्य सरकारी कर्मचारियों के बड़ी संख्या में ग्राहक बनने के कारण हुई है। किन्तु अब भी सर्कुलेशन को और बढ़ाए जाने की बड़ी सम्भावनाएं मौजूद हैं। यदि दूसरे राज्य इस दिशा में सुनियोजित ढंग से प्रयास करें तो इसकी सर्कुलेशन और बढ़ जाएगी। हम लगातार इसके लिए कोशिश नहीं करते और न ही हम वर्ष के अंत में पुराने ग्राहकों की सदस्यता का नवीकरण करते हैं; बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। सीआइटीयू की राज्य समितियों को चाहिए कि वे इस सम्बन्ध कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों की कोशिशों की मानिटरिंग करें। पुराने ग्राहकों को फिर से सदस्य बनाया जाए और नए सम्पर्क स्थापित करके नए ग्राहक बनाए जाएं।

16.5 त्रैमासिक हिन्दी 'पत्रिका' का सर्कुलेशन केवल लगभग 2,000 है। इसे प्रमुख तौर पर हिन्दी भाषी राज्यों की कामकाजी महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है। 'पत्रिका' की लगभग सभी प्रतियां आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच जाती हैं और उनकी अधिक संख्या की बिक्री निजी तौर पर भेजी जाने वाली प्रतियों की होती है। हिन्दी भाषी राज्यों में सीआइटीयू की राज्य समितियों को इसके सर्कुलेशन को मानिटर करना होगा। आंगनवाड़ी यूनियनों और कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों जहां–जहां भी वे हैं, को भी इसके सर्कुलेशन के काम को देखना होगा। यदि 'पत्रिका' की प्रसार संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी तो उसका हाल भी वही होगा जो पहले 'कामकाजी महिला' का हुआ था।

16.6 सीआइटीयू पत्रिकाओं की गुणवत्ता और उनकी सामग्री में भी बहुत अधिक सुधार लाए जाने की जरूरत है। इसके लिए सुनियोजित एवं सामूहिक प्रयास किए जाने के मामले में सीआइटीयू केन्द्र में भी कमजोरियां हैं जो लम्बे समय से पाई जा रही हैं। यही नहीं, केन्द्र और विभिन्न राज्यों के बीच पत्रिकाओं के प्रकाशन के प्रयासों में समन्वय एवं सद्भाव लाए जाने की जरूरत है। राज्यों को चाहिए कि वे इसके लिए सीआइटीयू केन्द्र को सामग्री भेजें और उस पर आगे की कार्रवाई करें जिसका उद्देश्य पत्रिकाओं के प्रकाशन इत्यादि में और सुधार लाया जा सके। किन्तु यह काम नहीं हो पा रहा। पहले किए गए फैसले के अनुरूप सीआइटीयू केन्द्र की ओर से केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रकाशित होने वाली सीआइटीयू पत्रिकाओं के सम्पादक मण्डलों के सदस्यों तथा सम्पादकों के बीच संवाद कराया जाएगा ताकि इनकी गुणवत्ता एवं पाठन सामग्री और इनके साथ–साथ उनके सर्कुलेशन में सुधार लाने के लिए कार्यनीति बनाई जा सके।

17. तात्कालिक कार्य

17.1 सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करने की योजना बनाई थी। हमें उन पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

17.2 हमें संविदा श्रमिकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना है और एक राष्ट्रव्यापी अभियान एवं आंदोलन चला कर संविदा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए ठोस कानूनी एवं प्रशासकीय कार्रवाई की मांग करनी है और हमारी मांग होगी कि गैर कानूनी ढंग से संविदा श्रमिकों की भर्ती करने वाले लोगों को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान किया जाए। इस सम्मेलन के लिए संविदा श्रमिकों को लामबंद करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय हमारे श्रमिक संघों को पहलकदमी करनी चाहिए। राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद राज्य एवं उद्योग स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है और एक व्यापक अभियान चलाया जा सकता है। सरकार श्रम कानूनों को लोचनीय बनाने के लिए पिछले दरवाजे से कोशिशें कर रही है; उसकी इन कोशिशों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर अभियान चलाए जाने की जरूरत है।

17.3 श्रम कानूनों पर अमल नहीं किए जाने और राज्य द्वारा प्रायोजित श्रम कानूनों के उल्लंघन की घटनाओं जैसे मुद्दों पर हमारी ओर से लगातार अभियान चलाया गया और संघर्ष किया गया; इससे हमें पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में सरकार को यह मुद्दा कार्यसूची में शामिल करने पर मजबूर करने में सहायता मिली थी। भारतीय श्रम सम्मेलन के 41वें सत्र में हमारी ओर से दिए गए प्रतिवेदन में दर्ज मांगों पर राज्य व्यापी अभियान एवं आंदोलन चलाने की योजनाएं सभी राज्य समितियों को बनानी चाहिए।

17.4 सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ देशव्यापी संयुक्त आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए हमें पहलकदमी करनी होगी। आयोजन समिति को सक्रिय करना होगा और 16–सूत्रीय मांगों जिनके आधार पर 14

दिसम्बर, 2006 को अखिल भारतीय हड़ताल की गई थी, पर एक शक्तिशाली संयुक्त आंदोलन का निर्माण करना होगा।

17.5 सीआइटीयू तथा किसान सभा की ओर से मजदूरों और किसानों की साझी मांगों पर पहलकदमी करते हुए 18 अप्रैल, 2007 को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया था जिसके लिए देश भर में उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिला था। इस पहलकदमी को और आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें मजबूती लाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सक्रिय करके उसे नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों और विभाजक ताकतों के खिलाफ संघर्ष के केन्द्र में लाना चाहिए।

17.6 सीआइटीयू के संस्थापक महासचिव भारत के श्रम आंदोलन के अग्र गण्य नेता कामरेड पी रामामूर्ति की जन्म शताब्दी का आरम्भ इस वर्ष 23 सितम्बर से हो रहा है। संगठन के सभी स्तरों पर शैक्षणिक एवं विचारधारक अभियान चला कर यह जन्म शताब्दी वर्ष हमें समुचित ढंग से मनाना चाहिए। इसका आरम्भ कोलकाता में और समापन 23 सितम्बर, 2008 को चेन्नै में व्यापक लामबंदियों के साथ की जाएगी।

17.7 सीआइटीयू केन्द्र को एक वर्ष के भीतर नयी दिल्ली में पी रामामूर्ति ट्रेड यूनियन शिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना करने के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना होगा। सीआइटीयू केन्द्र की ओर से देश के तीन क्षेत्रों – पूर्वी, दक्षिणी तथा हिन्दी भाषी राज्यों के लिए ट्रेड यूनियन स्कूल लगाने होंगे। सीआइटीयू केन्द्र को विचारधारक एवं सांगठनिक मुद्दों जिनसे देश में श्रमिक आंदोलन को दो–चार होना पड़ रहा है, पर साहित्य का प्रकाशन करना होगा; कामरेड पी रामामूर्ति के जीवन और हमारे देश के श्रमिक आंदोलन के लिए उनके योगदान पर सीआइटीयू की पत्रिकाओं को विशेष अंक निकालने चाहिएं। राज्य एवं उद्योग स्तरों पर इसके उपलक्ष्य में संगोष्ठियों, ट्रेड यूनियन कक्षाओं, स्मारक व्याख्यानों इत्यादि का आयोजन भी किया जाना चाहिए।

17.8 सीआइटीयू केन्द्र और उसके साथ–साथ राज्य समितियों को पूरी गम्भीरता के साथ बारहवें महाधिवेशन में निश्चित किए गए कार्यो को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा, दक्षिण पंथी प्रतिगामी और अल्टरा–लैफ्ट ताकतों द्वारा एक साथ मिल कर अवसरवादिता का परिचय देते हुए जिस तरह श्रमिक आंदोलन और उसके साथ–साथ वाम आंदोलन की मुख्य धारा के लिए गम्भीर चुनौतियां पैदा की जा रही हैं, हमें उनका पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना होगा और उन्हें खदेड़ देना होगा। हम, गैर–समझौतावादी दृढ़ता के साथ नव–उदारीकरण की नीतियों के हर पहलू के खिलाफ जन लामबंदियों को व्यापक बना कर और संघर्षो को तेज करके इन चुनौतियों का पूरी सफलता के साथ सामना कर सकते हैं। देश में श्रमिक वर्ग और वाम आंदोलन की मुख्य धारा के खिलाफ होने वाले विचारधारक हमलों का प्रतिकार करने की जिम्मेदारी श्रमिक वर्ग ही ले सकता है और उसे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा।

17.9 कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में महासचिव की रिपोर्ट पर समापन भाषण देते समय सीआइटीयू की सदस्य संख्या को 45 लाख से बढ़ा कर 50 लाख करने के लक्ष्य को सामने रखा था। उन्होंने सीआइटीयू के आगामी महाधिवेशन तक हमें इस लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया था। यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है क्योंकि हम 40 लाख सदस्य संख्या का लक्ष्य तो पहले ही हासिल कर चुके हैं। किन्तु यह लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारी राज्य समितियों को इसके लिए विशेष राज्यवार एवं सेक्टरवार कोटा लेना होगा। हमें पूरी लगन एवं समर्पण के साथ और निर्धारित समय सीमा के भीतर यह काम करना होगा।

17.10 श्रमिक आंदोलन के इन तात्कालिक कार्यो को पूरा करने के लिए हमें सभी स्तरों पर दोगुणा शक्ति के साथ अपने प्रयास करने होंगे।

अभिवादन सहित,

मोहम्मद अमीन

महासचिव

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल बैठक

27–30 मई, 2007

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

सूचना दस्तावेज

नयी दिल्ली में 27–29 अप्रैल, 2007 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 41 वें सत्र में प्रस्तुत सीआइटीयू का वक्वव्य

सामान्य

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) इस बात पर गहरा खेद व्यक्त करता है कि वार्षिक आधार पर भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक का आयोजन करने की परिपाटी का पालन नहीं किया जा रहा। इसके चलते वर्ष 2004 तथा वर्ष 2006 में इसकी बैठकों का आयोजन नहीं किया गया और उन्हें टाल दिया गया।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) इस तथ्य को भी दर्ज कराता है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के चालीसवें सत्र में निकाले गए निष्कर्षो पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिसे स्थायी श्रम समिति अथवा एस एल सी की दिसम्बर 2006 में सम्पन्न बैठक में पेश किया गया था, केवल इस देश के श्रमिकों की चिंताओं के मुद्दों पर सरकार के उदासीन रुख की ही पुष्टि करती है।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 41वें सत्र की कार्यसूची में शामिल किए गए मुद्दों पर अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले हम भारत सरकार की अकर्मण्यता और अपर्याप्त कार्रवाईयों की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे जो एसएलसी में उसकी ओर से पेश की गई रिपोर्ट से प्रतिबिम्बित होती हैं।

खेत मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न पर जिसमें उनकी कामकाजी स्थितियां, सामाजिक सुरक्षा तथा दूसरे लाभ शामिल हैं

कार्रवाई रिपोर्ट में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा असंगठित क्षेत्र में उद्यमों से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग की ओर से तैयार किए गए विधेयकों के प्रारूपों पर एक दस्तावेज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री के पास दिनांक 18–11–2005 को भेजा था; उनमें से एक दस्तावेज राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की ओर से भी भेजा गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की ओर से प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का मसौदा भी उन दस्तावेजों में शामिल किया गया था। इस पूरी कार्रवाई को भारतीय श्रम सम्मेलन के चालीसवें सत्र के ध्यान में नहीं लाया गया जो उसके बाद सम्पन्न हुआ था।

कार्रवाई रिपोर्ट में केवल प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को विस्तार में दिया गया है और भारतीय श्रम सम्मेलन के चालीसवें सत्र के सर्वसम्मत निष्कर्षो की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसमें केवल सचिव (एलएण्डई) की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय कामकाजी दल के गठन का उल्लेख किया गया है जिसकी पहली बैठक 23 जून, 2006 को हुई थी। उसके बाद त्रिपक्षीय कामकाजी दल को ताक पर रख दिया गया और यह प्रक्रिया एक दूसरे स्तर पर चलाई गई, इस तरह का रुख अख्तयार करके सरकार ने खुद आइएलसी के सर्वसम्मत निष्कर्षो को क्षति पहुंचाई है।

कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है, *"असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं के बारे में सम्बन्धित मंत्रालयों, विभागों तथा एनसीईयूएस के साथ अनेक बैठकें हो चुकी हैं। अंत में उपर्युक्त स्तर पर निर्णय लेने के लिए एक विधेयक के मसौदे का प्रस्ताव किया गया।"*

इसकी जरूरत के बारे में जो बातें की जा रही हैं वे त्रिपक्षीय विचार विमर्श की प्रक्रिया को छोड़ देने के अलावा और कुछ नहीं हैं क्योंकि इस प्रक्रिया का कोई ठोस परिणाम अभी तक निकला दिखाई नहीं देता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 के एक और मसौदे का प्रकाशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वेबसाइट पर किया गया था और इस पर जनता से टिप्पणियां मांगी गई थीं। पिछले विधेयकों की तुलना में यह विधेयक पूरी तरह अलग है और इसमें रोजगार को नियमित करने, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए बजट में राशि का आबंटन करने, न्यूनतम वेतन के गारंटीशुदा भुगतान इत्यादि बेहद अहम पहलुओं को शामिल नहीं किया गया। सरकार के इस रुख को देखते हुए केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से 13 फरवरी, 2007 को भारत के श्रम मंत्री को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने इस बेहद अहम मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई को लेकर गहरा असंतोष और खेद व्यक्त किया था; उन्होंने इस प्रश्न पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ एक बैठक बुलाने की मांग भी की थी।

कार्रवाई रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया जो इस प्रकार है:

"श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सोची समझी राय है कि इस प्रश्न पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए और शुरूआती तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की एक श्रेणी को जीवन/दुर्घटना बीमा तथा सरवाईवल लाभ दिए जाने चाहिएं। इसके अनुभवों के आधार पर हम इन लाभों को बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं क्योंकि यह फण्ड की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके लिए एक विस्तृत एवं ठोस कानून बनाने की जरूरत है क्या? यह फैसला भी हम इसके बाद कर सकते हैं।"

कुल मिला कर यह आइएलसी के फैसलों को न केवल ताक पर रखा जाना है बल्कि उस प्रतिबद्धता से भी पीछे हट जाना है जो मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में व्यक्त की थी।

सीआइटीयू इस प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग करता है। सीआइटीयू भारत सरकार से मांग करता है कि वह पूरी गम्भीरता के साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और खेत मजदूरों के लिए साथ ही साथ अलग–अलग सर्वसमावेशी विधेयक लाने की दिशा में कार्रवाई करते हुए त्रिपक्षीय विचार विमर्श शुरू करे; सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी स्थितियों को प्रस्तावित विधेयकों के अन्तर्गत लाया जाए और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से दिए गए सर्वसम्मत सुझावों को भी उनमें जोड़ा जाए।

वेतन से सम्बन्धित श्रम कानूनों में संशोधन और औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित कानूनों में संशोधनों के बारे में

कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में और संशोधन करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है और सरकार को यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि वेतन भुगतान (संशोधित) अधिनियम, 2005 9 नवम्बर, 2005 को प्रभावी हो गया था।

न्यूनतम वेतन अधनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट का कहना है, *"सभी सुझावों पर कोई सर्वानुमति नहीं बन पाई"* और *"न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) में विचार करने का फैसला किया गया था ताकि इस प्रश्न पर कोई अंतिम फैसला किया जा सके।"* कार्रवाई रिपोर्ट में इसे दर्ज नहीं किया गया। उसमें उल्लेख किया गया है, *"न्यूनतम वेतन*

अधिनियम, 1948 की धाराएं 3 (1) (ए), 3 (2) (ए), 3 (3) (ए) (iii), 8 (2) तथा 9, 18 (3), 20 (1), 20 (2), 20 (3) (ii), 20 (5) (बी), 20 (7), 20 (8), 21 (1), 21 (3), 22, 22ए, 22एए, 27 तथा 28 इत्यादि जैसा कि कार्यसूची में दर्ज किया है, पर सहमति पाई गई थी।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 पर कार्रवाई रिपोर्ट में रुटीन के तौर पर यह दर्ज किया गया था, *''द्वितीय एनएलसी की सिफारिश के अनुसार पात्रता/गणना की ऊपरी सीमा में संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार पूरी गम्भीरता से विचार कर रही है।* क्योंकि यह भारतीय श्रम सम्मेलन के 41वें सत्र की कार्यसूची में दर्ज है इसलिए हम बाद में इस प्रतिवेदन में उपयुक्त जगह पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां देंगे।

औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित संशोधनों के प्रश्न पर कार्रवाई रिपोर्ट में सही तौर पर उल्लेख किया गया है, *'केवल अधोलिखित पांच प्रस्तावों पर सर्वानुमति बनी थी :–*

(i) शिकायत निवारण प्राधिकरण (विशेष संशोधन लाने के लिए सहमति वाला विषय)
(ii) उपर्युक्त सरकार – धारा 2 (ए) (विशेष संशोधन के लिए सहमति वाला विषय)
(iii) न्यायाधिकरणों अथवा ट्रिब्यूनलों को अपने फैसले लागू करने के लिए अधिकार देना।
(iv) पीठासीन अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते और दूसरी सेवा शर्ते
(v) विवाद इत्यादि का सीधा उल्लेख

कार्रवाई रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन पहलुओं पर संशोधन लाने की कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सका जबकि इन पर सर्वानुमति बन चुकी थी। रिपोर्ट में पूरे विस्तार के साथ उन बारह सुझावों का उल्लेख किया गया है जिन पर कोई सर्वानुमति नहीं बन सकी थी क्योंकि ये *विवाद के मुद्दे* थे। रिपोर्ट में एनसीएमपी के प्रावधानों के उद्धरण दिए गए हैं किन्तु वह इस बात का उत्तर नहीं दे सकी कि *श्रमिकों तथा उनके परिजनों के हितों की रक्षा करने* वाले संशोधनों जिन पर सर्वानुमति हो गई थी, को स्थगित क्यों रखा गया। शायद इसलिए कि दूसरे संशोधनों पर जिन पर सेवायोजकों की ओर से जोर दिया जा रहा था, विरोधी विचार पाए जा रहे थे। इससे श्रमिक संघों की इन भयानक शंकाओं को मजबूती मिलती है कि *''औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के प्रस्तावों को सामाजिक सहभागियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किए जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।* श्रमिकों के पक्ष को प्रताड़ित करने की यह एक सोची समझी खेल है ताकि वे उन संशोधनों पर समझौता कर लें जिनके लिए सेवायोजकों का पक्ष दबाव डाल रहा है।

संक्षेप में, कार्रवाई रिपोर्ट साक्ष्यों के एक निरर्थक टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है; यह त्रिपक्षीय सदाचार के मूल सिद्धान्त को ही ठेस पहुंचाती है और श्रमिकों की चिंताओं के मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बड़ी–बड़ी बातें करती है।

आइटम संख्या 1: श्रम कानूनों को मजबूत बनाने और श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू करना

सीआइटीयू ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि 20 दिसम्बर, 2006 को नयी दिल्ली में केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न एसएलसी की 41वीं बैठक में हुए विचार विमर्श को सही ढंग से समझा नहीं गया; यही कारण है कि श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई कार्यसूची में उसकी झलक नहीं मिलती।

सीएलसी की 41 वीं बैठक में हुए विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आया था कि केन्द्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर बनाए गए **अधिकांश श्रम कानूनों का अधिकांश राज्यों में बुरी तरह उल्लंघन होता है** और **केन्द्रीय सरकार के स्तर पर भी उनका उल्लंघन होता है। निजी क्षेत्र में अधिकांश सेवा योजकों, अधिकांश राज्य सरकारों** और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले उद्योगों/प्रतिष्ठानों तथा विभागों की ओर से श्रम कानूनों के उल्लंघनों की इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है।

दुःख की बात तो यह है कि कार्यसूची ने अधिनियमों एवं नियमों, निरीक्षणों तथा सहवर्ती कार्रवाईयों में मूल रूप से बदलाव लाने की जरूरत पर जोर देकर कार्यसूची के विषयों के दबाव को ही पलट डाला है। यद्यपि श्रम कानूनों को लागू करने वाले सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है और उसका उल्लेख कार्यसूची के आलेख में भी किया गया है किन्तु इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी ठोस कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय श्रम सम्मेलन के इस (41 वें) सत्र में बहस के लिए कार्यसूची में इस विषय को भी इस सुझाव के साथ लिया गया है, "आइएलसी इसके लिए एक व्यापक मानदण्डों के सुझाव देने और इस पर विचार किए जाने के बारे में सोच सकती है।' किन्तु एक–एक श्रम कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, सरकार उसे देखना नहीं चाहती है। इस तरह वह एक–एक कानून के उल्लंघन को त्रिपक्षीय जांच तथा निर्णयकारी प्रक्रिया के घेरे से बाहर ले जाना चाहती है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में एक और खतरनाक रुझान देखने को मिला है; यह है होडा समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें। इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों का आधार वही है जो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (एसएनएलसी) का था।

एसएनएलसी में तो फिर भी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व था, भले ही वह संतोषजनक न हो किन्तु होडा समिति का गठन ही जाहिरा तौर पर 4 दिसम्बर, 2004 को सम्पन्न व्यापार एवं उद्योग पर प्रधान मंत्री की परिषद की बैठक के परिणामस्वरूप हुआ था; इस समिति की संरचना तथा इसके विचारार्थ विषयों की जानकारी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को नहीं थी; उसमें श्रमिक संघों का कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था। होडा समिति का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था अर्थात् ''बहुपक्षीय निरीक्षणों की कार्रवाईयों जरूरत के प्रश्न पर विचार करना और उन्हें कारगर एवं सरल बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना।'' इस समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें आइएलसी के 41 वें सत्र की कार्यसूची के विषय ''श्रम कानूनों को मजबूत बनाना और उनके उल्लंघन की रोकथाम के लिए उन (श्रम कानूनों) पर प्रभावशाली ढंग से अमल करना'' पर बहस के लिए प्रासंगिक हैं; यही नहीं, इस पूरी कार्रवाई में पारदर्शिता से काम नहीं लिया गया। होडा समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को उपलब्ध नहीं कराई गई। किन्तु भारत सरकार इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को भेजने के बाद उसकी कुछ विशेष सिफारिशों को बहस के लिए आइएलसी की 41वीं बैठक में पेश कर रही है। इसके परिणामस्वरूप जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, आत्म प्रमाणन की व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई है। इस समय भी, इस रिपोर्ट को पूरे तौर पर इसकी समीक्षा करने के लिए पेश नहीं किया गया। उसकी सिफारिशों के छोटे–मोटे टुकड़े पेश किए जा रहे हैं ताकि उन पर बहस की जा सके।

यह समिति थर्ड पार्टी जांच की व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश उद्यमों को अपने यहां श्रम कानूनों के पालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्रमाण पत्र हासिल कर लेने का विकल्प प्रदान करना चाहती है; इसे 'भरोसेमंद' माना जा रहा है और इसके साथ ही औद्योगिक इकाईयों को नियमित जांच से छूट देने की बात कही गई है। यदि इस सिफारिश को लागू किया जाता है तो इसके दुष्परिणाम स्वरूप विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने वाला सरकारी तंत्र ही समाप्त हो कर रह जाएगा।

इसी तरह, संयुक्त जांचों और जांचों की संयुक्त वार्षिक समय सूची का विकास करने की सिफारिश की गई है – इसका उल्लेख सरसरी तौर कार्यसूची में किया गया है – यह सिफारिश भी अनिष्टकारी है। यह उचित रूप में श्रमिकों के खिलाफ सरकार और सेवा योजकों के गठबंधन, श्रम कानूनों की धार जानबूझ कर कुंद किए जाने और श्रम कानूनों का पालन न करने जैसी आशंकाओं को जन्म देती है।

आत्म प्रमाणन की योजना को पहले ही लुके छिपे ढंग से राज्य स्तर पर लागू करने के लिए हरी झण्डी दिखा दी गई है। पूरे देश में श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन होने की घटनाओं की भरमार देखी जा सकती है; इस पृष्ठभूमि में यदि सेवायोजकों को ''आत्म प्रमाणन'' का अधिकार दे दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप श्रम अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं कानून सम्मत ही बन जाएंगी। और ऐसा होने पर 'श्रम कानूनों में किसी भी तरह मजबूती'

नहीं लाई जा सकती। इस तरह की बातें करने का अर्थ श्रम कानून तोड़ने वाले लोगों को आपराधिक कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत देने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।

होडा समिति की इन सिफारिशों को कार्यसूची में शामिल करना और उसके साथ ही साथ एसएनसीएल की रिपोर्ट के इन पैरों का समावेश करना जिनमें श्रम कानूनों के उल्लंघन पर "कठोर दण्ड" "विवादों का तत्काल एवं निश्चित समय के भीतर निपटारा करने" तथा "श्रम कानून लागू करने की कीमत की तुलना में श्रम कानून का उल्लंघन करने की कीमत कहीं अधिक करने" जैसी बातें करना हास्यास्पद है। इससे अधिक पाखण्ड और क्या हो सकता है!

सीआइटीयू ने 25 अक्टूबर, 2006 को श्रम कानूनों के उल्लंघन से जुड़े अनेक चौंका देने वाले मामलों पर केन्द्रीय श्रम मंत्री को एक विस्तृत नोट भेजा था। उसमें राज्य तथा केन्द्र दोनों ही क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों का उल्लेख किया गया था। वास्तविकता तो यह है कि देश में अधिकांश कामकाजी स्थलों पर सभी श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है अथवा उनका उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती है और उल्लंघन करने वाले को दण्ड का कोई भय नहीं होता। किसी भी श्रम कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाता; विशेष आर्थिक अंचलों अथवा सेज की खास तौर पर यही हालत है। भले ही सेज श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं पर केवल रिकार्ड के लिए। कम से कम इस समय तो इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में आर्थिक नीति के अन्तर्गत सेज को पूरे देश में फैलाने के लिए पहलकदमियां की जा रही हैं। उन्हें कर–मुक्त अंचल बनाया जा रहा है, उन्हें श्रमिक संघों से मुक्त किया ज़ा रहा है और तो और उन्हें श्रम कानूनों से मुक्त अंचल भी बनाया जा रहा है।

बात केवल विशेष आर्थिक अंचलों अथवा सेज़ की नहीं है। संगठित क्षेत्र की पचास प्रतिशत से अधिक श्रम शक्ति को कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतन नहीं दिए जाते; यद्यपि रज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की ओर से इसके लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं; मजदूरों से 12–14 घण्टे काम लिया जाता है – आठ घण्टे से अधिक काम करने पर उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता – निजी क्षेत्र के अधिकांश प्रतिष्ठानों में यह नित्य प्रतिदिन की बात बन चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष तौर पर आइटीज़ में कामकाजी घण्टों की कोई सीमा नहीं है और सभी कानून प्रबंधकों के ठेंगे पर रहते हैं। निजी क्षेत्र के अधिकांश प्रतिष्ठानों अथवा उद्यमों में बहुसंख्य श्रमिकों के नाम न प्रधान नियोक्ता के और न ही ठेकेदार के हाजरी रजिस्टर में दर्ज नहीं होते।

इस तरह श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या को न्यूनतम वेतनों, सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी सुविधाओं अथवा लाभों और यहां तक कामकाजी स्थलों में काम करते समय मौत हो जाने अथवा घायल हो जाने की हालत में भी मुआवजे से वंचित रखा जाता है। श्रमिकों को नियमित रोजगार में भी व्यापक स्तर पर अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाता है; यहां पर भी संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) के बुनियादी प्रावधानों को ठेंगा दिखा दिया जाता है। सेवायोजकों के आक्रमक और दमनकारी हथकण्डों के चलते श्रमिक संघ का गठन करना ही बेहद चुनौती पूर्ण काम बन चुका है और सरकारी तंत्र की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल होती है। यह स्थिति विशेष तौर पर उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों की है जो 1990 के दशक में उभरे हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां श्रम कानूनों का अधिकतर उल्लंघन होता है। विशेष तौर पर नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के लागू होने के समय से जहां बाजार को सभी चीजों के लिए ईश्वर मान लिया जाता है, देश में अधिकांश कामकाजी स्थलों में इसी तरह की स्थितियां पाई जा रही हैं।

जब कभी भी और जहां कहीं भी श्रमिक कानून की पुस्तिका में दर्ज अर्थात् न्यूनतम वेतनों का भुगतान न किए जाने, मुआवजा दिए बिना बारह घण्टे काम लेने, बुनियादी सामाजिक सुरक्षा न दिए जाने, गैर कानूनी छंटनियों, श्रमिक संघों का गठन करने पर दमनकारी तरीके अपना कर उन्हें निलम्बित किए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हैं वहां पर सभी बुनियादी श्रम कानूनों के उल्लंघन और उनके साथ–साथ सेवायोजकों एवं राज्य प्रशासन के हाथों उन पर अमानवीय अत्याचार एवं उत्पीड़न की घटनाएं होते देखी जा सकती हैं। अधिकांश स्थानों पर राज्य प्रशासन और उसके साथ–साथ पुलिस सेवायोजकों और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले "महारथियों" की निजी सुरक्षा

गार्द के रूप में काम करती है। श्रमिक संघों की ओर से सरकारी एजेंसियों को बार–बार अनुरोध किया जाता है कि वे इस स्थिति में दखल दें किन्तु उनके बहरे कानों में उनकी आवाज पहुंचती ही नहीं। ये सभी एजेंसियां सेवायोजकों की लाबी की चाकर बन कर रह गई हैं।

उदारीकरण का दौर शुरू होने से पहले भी श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें मिला करती थीं। उनके लिए भी कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र की विफलता जिम्मेदार होती थी और तब भी कानून लागू करने वाले अधिकारियों तथा सेवायोजकों के पक्ष के बीच नापाक गठबंधन होता था। किन्तु उदारीकरण का दौर शुरू हो जाने के बाद विशेष तौर पर नब्बे के दशक के मध्य से कानून विहीन सत्ता की स्थापना के लिए चेतन प्रयास किए जा रहे हैं; ये प्रयास विभिन्न सरकारों के स्तर पर हो रहे हैं। जब सरकार चलाने वाले लोग अथवा तंत्र ही कानूनविहीन सत्ता को बढ़ावा देने लग जाएं और कानून तोड़ने की कार्रवाईयों में भाग लेने लग जाएं तो यह अराजकता के दौर की शुरूआत के लक्षण हैं; जहां तक कानून व्यवस्था को बनाए रखने और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सौहार्द का प्रश्न है, ये लक्षण स्वस्थ्यकारी नहीं हैं।

संक्षेप में, सरकार–सेवायोजक गठबंधन की ओर स 'हॉयर एण्ड फॉयर' की सत्ता लागू कर दी गई है; उन्होंने सभी जगह यूनियन से मुक्त कामकाजी स्थलों को सुनिश्चित बना दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण (2005–06) कुल मिला कर इसी सत्ता की वकालत करता है; वह कहता है, ''...भारत के श्रम कानून श्रमिकों के प्रति बेहद संरक्षणात्मक हैं... साक्ष्य दर्शाते हैं कि जिन राज्यों की ओर से श्रमिकों के पक्ष में अधिक कानून बनाए गए हैं, वे सामान्य तौर पर औद्योगिक उत्पादन में क्षति झेल रहे हैं (पश्ष्ठ 209)''। राज्यों के लिए संदेश साफ है: *''श्रम कानूनों को लागू न करो; श्रम कानूनों के उल्लंघन की घटनाओं को चुप चाप देखते रहो; जंगल राज की ओर कदम बढ़ाओ; श्रमिकों के कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को धीरे–धीरे खत्म करने की दौड़ में शामिल हो जाओ और फिर देखो, सुख–समृद्धि आपके पांव चूमने लग जाएगी।''* ये लोग सिद्धान्त के तौर पर इस तरह की बातें करते हैं और उनकी विचारधारा भी कुछ इसी तरह की है और वे सभी कामकाजी स्थलों में श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों और श्रमिक संघों के लिए आक्रमक शत्रुता की भावना रखते हैं।

यह स्थिति बेहद गम्भीर है ओर इसमें सुधार लाने के लिए कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने, उसे मुट्ठी गर्म करने वाले सेवायोजकों के चंगुल से बाहर निकालने, 'इंस्पेक्टर राज' पर आंसू बहाने की जगह निरीक्षण की व्यवस्था को व्यापक एवं मजवूत बनाने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक के अभिकरणों की ओर से किए गए अध्ययनों से लाभ उठाया जा सकता है, भले ही उन्होंने संकोच से यह काम किया है। इसी तरह का एक अध्ययन हाल ही में विश्व बैंक के कारमैन पेजिज तथा गोखले इंस्टीच्यूट, पुणे के तीर्थंकर राय ने किया है (अध्ययन का शीर्षक है: भारत के श्रम बाजारों में कानून लागू करने वाला तंत्र, न्यायाधिकरण : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हाल ही में लाए गए बदलाव तथा आगे की स्थिति)। इस अध्ययन में भारत में श्रम कानूनों की व्यवस्था का वर्णन इस तरह किया गया है, ''कानून लागू करने की निष्प्रभावी व्यवस्था और विवादों से गहराई व्यवस्था'' और इसके आगे उल्लेख किया गया है, ''हम देखते हैं कि जहां कानून में कोई सार्थक बदलाव नहीं आया वहीं औपचारिक यूनियन की उपस्थिति, कानून लागू करने वाला कमजोर होता तंत्र, संविदा श्रम की बढ़ती व्यवस्था, संविदा एवं अस्थायी रोजगार को कानूनी रूप देने वाले अदालतों के फैसले और कानूनी पहलकदमियों का बढ़ता विकेन्द्रीयकरण इत्यादि तरीके यह दर्शाते हैं कि श्रम सम्बन्धों में लोचनीयता बढ़ी है।''

संविदा श्रम के बारे में इसी अध्ययन में कहा गया है, ''यद्यपि इसका (संविदा श्रम) का उपयोग अब सेवायोजक को उपलब्ध एक प्रधान साधन के तौर पर अधिकाधिक होने लगा है और राज्य सरकारें लोचनीयता बढ़ा रही हैं...संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) का मूल उद्देश्य इसके पूर्णतया विपरीत है...और न्यूनतम वेतन देने के मामले में प्रधान नियोक्ता तथा ठेकेदार के बीच टकराव होता दिखाई देता है।''

विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित इसी अध्ययन में और कहा गया है,

''न कामकाजी घण्टो से सम्बन्धित और न ही श्रमिकों को काम पर रखने सम्बन्धी प्रावधान श्रमिकों के पक्ष में दिखाई देते हैं और न ये नियोक्ताओं के लिए प्रतिबंधात्मक हैं।''

''श्रम ब्यूरो से हासिल किए गए आंकड़े इस बात का सूचक हैं कि पंजीकृत कारखानों में उन कारखानों की संख्या में गिरावट आ रही है जहां निरीक्षण होते हैं। ''

''श्रम कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र के कमजोर होते चले जाने, उसके निष्प्रभावी होने तथा भ्रष्टाचार के कीचड़ से सने निरीक्षणों तथा संविदा श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होते चले जाने के चिन्ह साफ दिखाई देते हैं। न्यायपालिका के रुख में आए बदलाव ने भी यह स्थिति पैदा करने में अपना योगदान दिया है।''

''भारत की श्रम शक्ति संगठित है और असंगठित भी है; उसका यह दोहरापन पिछले चार दशकों में बढ़ा है जब आर्थिक विकास का लक्ष्य उसे कम करने का था।''

उपरोक्त टिप्पणियां, पूरे देश में श्रम कानून लागू करने वाले तंत्र के बारे में दुःखद कथा का वर्णन करती हैं; यह हालत पैदा करने में व्यवहारिक तौर पर किसी और ने नहीं बल्कि प्रधान मंत्री ने अपना योगदान दिया है। जब वह ''मिकनसे के त्रैमासिक 2005 के विशेष अंक के लिए भेंट वार्ता देते समय'' यह कहते हैं: ''जब हम श्रम सुध ारों की बात करते हैं तो हम अपनी केवल लगभग दस प्रतिशत श्रम शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो तथाकथित संगठित क्षेत्र में काम करती है; किन्तु बाकी 90 प्रतिशत श्रम शक्ति के मामले में हमारे यहां पूर्णतया लोचनीय श्रम बाजार है।...वहां बाजार के सामान्य नियमों के अनुसार काम होता है। संगठित क्षेत्र के भीतर भीकृकृनिजी क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने मुझे बताया है कि वे स्वैच्छिक समझौते करने के तरीके तथा साधनों का पता लगा सकते हैं; जहां जरूरी होगा वहां श्रम बाजार को लोचनीय बनाया जा सकता है।''

उपरोक्त वक्तव्य इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि 1) 90 प्रतिशत श्रम शक्ति के लिए कोई श्रम कानून नहीं है जिसमें न्यूनतम वेतन, कामकाजी घण्टे, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति इत्यादि भी शामिल है–बाजार के प्रभुओं के सहारे पूर्ण अराजकता को बोलबाला है। 2) शेष 10 प्रतिशत श्रम शक्ति में से निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के सेवायोजक बेरहमी से श्रम कानूनों को पावों तले रौंदते हैं। उन्हें दण्ड का कोई भय नहीं होता।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य में केवल एक दुरुस्ती किए जाने की जरूरत है अन्यथा यह एक अनपेक्षित वक्तव्य है। संगठित क्षेत्र लगभग सात प्रतिशत सिकुड़ गया है; इसके चलते ये आंकड़े और बदल गए हैं तथा श्रमिकों की हालत पहले से बदतर हुई है।

प्रधान मंत्री ने जिस स्वैच्छिक समझौते का उल्लेख किया है वह समझौता श्रमिकों के साथ नहीं किया जाता; यह स्वैच्छिक समझौता सेवायोजकों और कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच होता है। इस समझौते के अन्तर्गत श्रमिकों पर छंटनी, बेहद कम वेतन, पैसे दिए बिना काम लेने जैसे कदम उठाए जाते हैं और श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या इस मार को झेलने के लिए मजबूर होती है। हम एक बार फिर विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहेंगे। रिपोर्ट कहती है, ''यदि कोई चीज विपरीत दिशा की ओर संकेत करती है तो वह वह है कानून से बचने के लिए सेवायोजकों और इंस्पेक्टरों का गठबंधन। इसके फलस्वरूप एक निष्प्रभावी व्यवस्था बनती है और इस निष्प्रभावी व्यवस्था में अनेक तरह की अनियमितताएं होती हैं। जाहिर तौर पर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और कानून के शासन को मजबूत बनाने के लिए बहुत कम किया जाता है जबकि कारोबारी लागत बढ़ा दी जाती है।''

केन्द्रीय श्रम मंत्री तथा केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के बीच 21 दिसम्बर, 2006 को एक बैठक हुई थी। जहां तक श्रम कानूनों को लागू करने वाले सरकारी तंत्र का सम्बन्ध है, उस बैठक में पूरी स्थिति पर विचार किया गया था। श्रमिक संगठनों की ओर से श्रम कानून लागू किए जाने की प्रक्रिया की मानिटरिंग में सरकारी तंत्र तथा शिकायत निवारण

तंत्र के निष्प्रभावी होने का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने खास तौर पर बताया था कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले सेवायोजकों को अनुशासित किए जाने से सम्बन्धित विभिन्न श्रम कानून निष्प्रभावी होकर रह गए हैं और ऐसे में कानून तोड़ने वाले सेवायोजक को दण्ड देने की बातें करना हास्यास्पद है। कानून लागू करने वाले तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को जो अधिकार एवं शक्तियां दी गई हैं, वे अपर्याप्त हैं और इसके चलते कानून लागू करने वाला सरकारी तंत्र शक्तिहीन होकर रह गया है। इंस्पेक्शन की व्यवस्था समाप्त करने के लिए सरकार में विराजमान महानुभावों की ललक स्थिति को बद से बदतर बना रही है। सेवा योजक कुछ भी करें उन्हें कोई पूछने वाला नहीं।

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने 12–02–2007 को केन्द्रीय श्रम मंत्री के नाम एक पत्र लिखा था; यहां उस पत्र का उल्लेख करना तर्क संगत होगा। यह पत्र पश्चिम बंगाल में चटकल श्रमिकों की हड़ताल से सम्बन्ध रखता है। पत्र में बताया गया था कि समझौतों तथा विभिन्न श्रम कानूनों को मनमाने ढंग से तोड़ने वाले सेवायोजकों को अनुशासित करने में राज्य सरकार असमर्थ हैं क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावंधान काफी नहीं हैं।

कार्यसूची के नोट में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की कुछ सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। ये सिफारिशें श्रम कानूनों की समीक्षा और श्रम प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं। इसमें पैरा संख्या 6.136, 6.139, 6.141, 11.3, 11.4, 11.32, 11.34, 11.43, 11.75, 11.81 तथा 11.376 का हवाला दिया गया है जो श्रम कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का सुझाव देते हैं।

किन्तु उसके बाद होडा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की दृष्टि से जो कदम उठाए गए और जिन कदमों को उठाने का प्रस्ताव है वे सभी विपरीत दिशा में जाते हैं। इन कदमों ने एसएनसीएल की सिफारिशों को मजाक बना डाला है।

यदि कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए श्रम कानूनों पर अमल में मंजबूती लानी है जैसा कि विचाराधीन दस्तावेज का शीर्षक संकेत देता है तो श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम श्रम कानूनों में बदलाव की दिशा लोचनीयता की ओर नहीं जाती। इस तरह के सुझाव देने से विचाराधीन विषय ही मजाक बन कर रह जाएगा और इसके चलते त्रिपक्षवाद भी मजाक का विषय बन कर रह जाएगा।

इस के लिए इन बातों की जरूरत है: *''1) सरकार में विराजमान लोग तथाकथित 'इंस्पेक्टर राज' की बुराईयों पर व्यर्थ का रोना–धोना बंद करें; 2) निरीक्षण की व्यवस्था में मजबूती लाई जाए और उसे व्यापक बनाया जाए, इसके लिए निरीक्षण अथवा इंस्पेक्शन करने वाली एजेंसी को पूरे अधिकार दिए जाएं तथा श्रम शक्ति उपलब्ध कराई जाए ताकि श्रम कानूनों के तत्काल पालन के मार्ग में आने वाले अवरोधों और दोषों को दूर किया जा सके; 3) श्रम विभाग में दर्ज होने वाली शिकायतों का निपटारा निश्चित समय सीमा के भीतर हो जिसमें श्रम अदालतों की ओर से निश्चित समय के भीतर श्रम सम्बन्धी विवादों का निपटारा करना तथा श्रम अदालतें सेवायोजकों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से अपने आदेश का पालन करा सकें इसके लिए उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना भी शामिल है; 4) सेवायोजकों की ओर से श्रम कानूनों के उल्लंघन की घटनाओं को एक आपराधिक कार्रवाई के रूप में लिया जाए; 5) किसी भी प्रतिष्ठान को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर करने की व्यवस्था लागू करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए; 6) रोजगार के निर्धारण और आय सम्बन्धी मानदण्ड के रोक टोक के बिना सभी श्रम कानूनों को सभी जगह लागू करो और अंत में पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती 7) अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली सम्पूर्ण श्रम शक्ति को श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाया जाए।*

हम चाहते हैं कि श्रम कानूनों को मजबूत बनाया जाए और शासन के छाते को व्यापक बनाया जाए और उसके नीचे सभी तरह के रोजगार सम्बन्धों को लाया जाए; उन पर पूरी ताकत के साथ अमल किया जाए– सरलीकरण की भ्रांति फैला कर उन्हें और कमजोर अथवा नर्म न बनाया जाए; उनका पालन करने की घटनाओं को कानून

सम्मत न बनाया जाए जैसा कि सरकार की ओर से दिए गए कार्यसूची के नोट में करने की कोशिश की गई है।

श्रम कानून (विशेष उपक्रमों को विवरणियां भेजने और रजिस्टर बनाए रखने से छूट देना) संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2005 पर कार्यसूची का आलेख खुद श्रम सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति के निदेश का पालन करने के लिए त्रिपक्षीय विचार विमर्श की प्रक्रिया का हवाला देता है। हमने सचिव (एलएण्डई) द्वारा 15 मार्च 2007 को बुलाई गई बैठक में सीआइटीयू की ओर से प्रस्तुत एक दस्तावेज (अनुलग्निका–1) को इसके साथ संलग्न किया है। इसके आगे हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

अनुलग्निका -I

श्रम कानून (विशेष उपक्रमों को विवरणियां भेजने और रजिस्टर बनाए रखने से छूट देना) संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2005

हमने पाया कि सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों को श्रेणीबद्ध करने के लिए आगे की कार्रवाई की थी और जैसा कि विधेयक में दर्ज है, दो – आधारभूत तथा बाह्य संशोधनों पर उसने विचार किया। उसने इन बाह्य संशोधनों को रद्द कर दिया जिनके बारे में नीचे उल्लेख किया जा रहा है:

- जिन प्रतिष्ठानों में 500 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, उनके मामले में एक अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करना। हम समझते हैं कि प्रस्तावित विधेयक के अनुच्छेद 3 (2) को वापस ले लिया जाएगा।
- उपयुक्त सरकार को अधिकार देना कि वह ऐसे किसी भी उपक्रम को, यदि उसके द्वारा समुचित वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं तो उसे अपने यहां रजिस्टर रखने और रिकार्ड को बनाए रखने की अनिवार्यता से मुक्त कर दे अथवा छूट प्रदान कर दे। हम समझते हैं कि प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 5 की उप–धारा 4ए को वापस ले लिया जाएगा।
- अनुसूचित अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं अधिनियमों के प्रकट अंशों से सेवायोजकों को छूट देना है। हम समझते हैं कि प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 5 की उप–धारा 4ए वापस ले ली जाएगी।

उपरोक्त विधेयक पर सर्वानुमति लाने के लिए अधोलिखित पर विचार किया जा सकता है:

श्रम कानून (विशेष उपक्रमों को विवरणियां भेजने और रजिस्टर बनाए रखने से छूट देना) संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 1988 का उद्देश्य छोटे तथा लघु उद्यमों के सेवायोजकों को विशेष श्रम कानूनों के अन्तर्गत अपने यहां रजिस्टर रखने और सरकार को विवरणियां भेजने की अनिवार्यता से मुक्त करना अथवा छूट देना है।

प्रधान अधिनियम विवरणियां भेजने और रजिस्टर रखने से छूट प्रदान करता है जैसा कि अधोलिखित नौ कानूनों में प्रस्तावित किया गया है:

- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- कारखाना अधिनियम, 1948
- बगीचा श्रम अधिनियम 1951
- श्रमजीवी पत्रकार तथा समाचार पत्रों के दूसरे कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955
- संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- सेल्स प्रोमोशन इम्पलाईज़ (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 और

• समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।

यदि छोटे और लघु उद्यमों की परिभाषाओं को यथावत बनाए रखा जाता है तो जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित किया गया है, तो सात और कानूनों को इसमें शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ये कानून इस प्रकार हैं:

'छोटे उपक्रम' की परिभाषा का तात्पर्य उन उपक्रमों से है जिनके पास काम करने वाले श्रमिकों की संख्या नौ से कम न हो और उन्नीस से अधिक न हो अथवा उन्हें बारह महीनों में किसी भी दिन काम पर रखा गया हो; 'लघु उद्यमों' की परिभाषा का तात्पर्य उन उद्यमों से है जहां काम करने वाले श्रमिकों की संख्या नौ से अधिक न हो अथवा उन्हें चालू बारह महीनों में किसी भी दिन काम पर रखा गया हो।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधेयक के लम्बे शीर्षक के 'विशेष उपक्रमों' शब्द जो अनुच्छेद 1 *(1)* में दर्ज है, के स्थान पर प्रस्तावित विधेयक के चैप्टर II के शीर्षक में, अनुच्छेद 5.4 *(1)* में तथा अनुच्छेद 5.4 में इन शब्दों को शामिल किया जाएगा: 'वे उपक्रम जहां कम संख्या में श्रमिक काम करते हैं' जैसा कि प्रधान अधिनियम के लम्बे शीर्षक में है। प्रस्तावित विधेयक के अनुच्छेदों 2, 3 तथा 4 (ii), (सीबी), 4 (iii) तथा 4 (iv) को भी निकाल देना चाहिए। इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक के अनुच्छेद 5 की धारा 4 (1) में *'दूसरे उपक्रम'* शब्द के स्थान पर *'बहुत छोटे उपक्रम'* डाल देने चाहिएं। उपबंध में भी *'दूसरे उपक्रम'* के लिए शब्द *'एक बहुत छोटा उपक्रम* अथवा *'बहुत छोटा उपक्रम'* लिखा जाना चाहिए।

इसके आगे प्रस्तावित विधेयक के लिए इन शब्दों *'कोई भी अनुसूचित (पहली अनुसूची के अलावा और कोई) तथा/अथवा स्वरूप तथा उसके बाद इस अनुसूचित तथा/अथवा स्वरूप'* के लिए ये शब्द लिखे जाएं, *'कोई भी अनुसूचित तथा उसके बाद इस तरह का अनुसूचित'।* अन्यथा प्रस्तावित विधेयक सात कानूनों को शामिल किए जाने के प्रस्तावित कदम से बाहर इस कानून को अनुसूचित अधिनियमों को शामिल करने की दृष्टि से खुला छोड़ देगा।

हम रोजगार की दहलीज को बड़ा किए जाने के प्रस्तावित अधिनियम से सहमत नहीं हो सकते। इसके अधोलिखित कारण हैं:

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट कहा गया था कि "उन उपक्रमों जिनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 19 अथवा उससे कम है, के मामले में अलग रुख अपनाया जाए", इससे सम्बन्धित सिफारिश इस तरह थी, "इस तरह के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रावधान एक पश्थक कानून के रूप में किए जाने चाहिएं जिसका नाम "छोटे उपक्रमों (रोजगार सम्बन्ध) सम्बन्धी अधिनियम" हो सकता है।

सरकार ने इस सिफारिश पर क्या रुख अपनाया है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। जैसा कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की पश्थक कानून की सिफारिश पर उसका नाम "छोटे उपक्रम (रोजगार सम्बन्ध) अधिनियम" रखा गया था, इसकी काफी सम्भावनाएं हैं। (देखें नीचे के बाक्स का नोट), हम रोजगार दहलीज बढ़ाने की दृष्टि से जैसा कि प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है और जिसका उल्लेख एक प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, इस कानून की सम्भावनाओं को बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव के प्रति वचनबद्ध नहीं हो सकते।

सभी अनुसूचित अधिनियमों में एक समान दण्ड का प्रावधान किए जाने के सम्बन्ध में प्रधान घोषणा यह की गई है, "सरलीकृत व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड दिया जाएगा" यह केवल तार्किक है और सेवायोजकों को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए:

हम, तथापि, दण्ड देने के प्रावधान में इस तरह संशोधित किया जाए:

अधिनियम का पहली बार उल्लंघन करने पर 'पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है' जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। किन्तु, हमारा इस पर पक्का विचार है कि अनुसूचित अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त प्राधिकरण को यह दण्ड देने अथवा जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरी बार कानून का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना लगाने (जिसमें कारावास का प्रावधान भी किया गया है) जिसका प्रस्ताव विधेयक में किया गया है, यह एक 'धारणा अथवा विश्वास' बन कर रह जाएगा।

सेवायोजकों को रजिस्टर बनाए रखने और कम्पयूटर पर वार्षिक विवरणी, कम्पयूटर फलापी, डिस्केट अथवा दूसरे इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए; हम इस सम्बन्ध में विधेयक के प्रस्ताव से सहमत हैं। फिर भी हमारी इच्छा है कि सेवायोजक के लिए किसी भी हालत में ये जानकारियां भेजना अनिवार्य हो, इसे यकीनी बनाने के लिए प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 5 की उप–धारा 4 (2) के प्रावधान में उपयुक्त शब्द शामिल किए जाएं। अपने उपक्रम में श्रमिक की ट्रेड यूनियन को इसकी जानकारी देना सेवायोजक के लिए अनिवार्य हो; उसके लिए इन विवरणियों की प्रतियों को उपक्रम के सूचना पटल जहां उसे उपक्रम में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति देख सके, पर चिपकाना अनिवार्य बनाया जाए।

हमने विधेयक में संलग्न अनुसूचियों तथा फार्म की जांच एवं समीक्षा की है।
क्योंकि सेवायोजकों के प्रतिनिधियों ने 2 मार्च, 2007 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी इसलिए हम इस सम्बन्ध में विचार के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुझाव पेश करते हैं।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट 29 जून, 2002 को प्रस्तुत हुई थी और उसके साथ–साथ ईपीएफ (एमपी), 1952 के सम्बन्ध में अधोलिखित बातों का समावेश किया गया था:

- भविष्य निधि अधिनियम को उपक्रमों अथवा उद्यमों की सभी श्रेणियों के लिए लागू किया जाए। विशेष कारणों से जरूरत पड़ने पर इससे छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। (8.117)
- भविष्य निधि अधिनियम के लागू होने के बारे में सामाजिक सुरक्षा पर कामकाजी बल ने सिफारिश की थी कि तत्काल रूप से रोजगार दहलीज को संकरी करके 10 तक कम कर दिया जाए; अगले 3–5 वर्षों में 5 और उसके बाद थोड़े समय के अंतराल में एक कर दिया जाए। आयोग ने इन सुझावों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। (8.118)
- हमारे अध्ययन दल ने सुझाव दिया था कि सहकारी सभाओं के साथ विशेष व्यवहार किए जाने की जरूरत नहीं है। यदि किया जाता है तो इसे समाप्त किया जाए। हम इस सुझाव का अनुमोदन करते हैं। (8.120)

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की नियुक्ति हो जाने से पहले भी तत्कालीन श्रम मंत्री श्री सत्यनारायण जतिया ने 5 दिसम्बर, 1998 को भविष्य निधि न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक को सम्बोधित करते हुए ये बातें कही थीं:

- भविष्य निधि लाभों के दायरे तथा सम्भावनाओं को बढ़ाने अथवा व्यापक बनाने के लिए रोजगार पर लगे श्रमिकों की संख्या को 20 से कम करके 10 करने का प्रस्ताव दिया गया था; यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
- इसके आगे ईपीएफ तथा एमपी एक्ट तथा आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी योजनाओं के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए सुझाव दिया गया था कि अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली औद्योगिक इकाईयों अथवा उपक्रमों को निकाल दिया जाए; उन्होंने कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

प्रस्तावित विधेयक पर सहमति पैदा करने के लिए कोशिश करते समय कम से कम इन दो कदमों को लागू करने पर सरकार को सहमत हो जाना चाहिए जिन पर वर्ष 1998 से ही उसके द्वारा विचार किया जा रहा है।

'छोटे उपक्रम (रोजगार सम्बन्ध) अधिनियम का प्रारूप यह प्रावधान करता है कि अधोलिखित कानूनों में से इन उपक्रमों पर कुछ भी लागू नहीं होगा: 1) कारखाना अधिनियिम, 1948 (उन्हें छोड़ कर जो धारा–8 के अन्तर्गत आते हैं); 2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; 3) औद्योगिक रोजगार (एसओ) अधिनियम, 1946; 4) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948; 5) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; 6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; 7) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; 8) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; 9) प्रसूति लाभ अधिनियम; 10) श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम; 11) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; 12) संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1972; 13) अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (आरई एवं सीएस) अधिनियम, 1979; 14) शाप्स एण्ड एस्टेबलिशमैंट एक्ट; 15) उत्खनन अधिनियम 1951 (उन खदानों को छोड़ कर जहां काम जमीन के नीचे होता है)।

प्रस्तावित कानून इन उपक्रमों के सेवायोजकों को ले–आफ करने, अपने श्रमिकों की छटनी करने अथवा अपनी इच्छा से अपने उपक्रमों को बंद कर देने के पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा और इसके लिए सेवायोजकों को अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को जितने वर्ष उन्होंने काम किया होगा, उसके अनुसार प्रति वर्ष 20 दिन का वेतन देना होगा। जिन श्रमिकों ने उसके यहां पांच वर्ष से कम समय तक काम किया होगा उन्हें मुआवजे के तौर पर वर्ष में पंद्रह दिन का वेतन दिया जाएगा। उन्हें किसी भी समय अपने श्रमिकों को ले–आफ करने की इजाजत दे दी गई है। सेवायोजकों के लिए अपने श्रमिकों को काम से निकाल देना अथवा उनकी छटनी करना कानून सम्मत होगा।"

इसके अलावा, आयोग की ओर से प्रस्तावित वेतनों पर कानून इन "बीस से कम श्रमिकों वाले उपक्रमों को अपने दायरे से बाहर रखता है।" प्रस्तावित कानून छोटे उपक्रमों के लिए प्रावधान करता है कि "इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों के मामले में वेतनों की न्यूनतम दरों का निर्धारण राज्य सरकार कर सकती है।" इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि छोटे उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अलग–अलग होंगे ओर वे "राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम वेतनों" से कहीं कम होंगे जिनकी कल्पना वेतनों सम्बन्धी कानून में की गई है और जिसके लिए आयोग की यह "दृढ़ धारणा" है कि श्रमिकों तथा उनके परिजनों की जरूरतों को देखते हुए न्यायसंगत वेतन होना चाहिए।"

आइटम II : बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

इस विषय पर कार्यसूची ने एसएनसीएल की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन करने तक ही खुद को सीमित रखा है।

कार्यसूची के नोट में दर्ज किया गया है, "श्रमिक संघ इस बोनस भुगतान की सीमा को समाप्त **करने/बढ़ाने** की मांग करते रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने 19 अगस्त, 2006 को श्रमिक संघों के बरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के समय अपनी समापन टिप्पणी में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा था, "बोनस के लिए सीमा पर विचार किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बोनस भुगतान की मौजूदा सीमा एक दशक से भी अधिक समय पहले निर्धारित की गई थी। हम मंत्रिमण्डल में इस प्रश्न पर शीघ्र ही विचार करेंगे और इस पर अनुकूल निर्णय लेंगे।

हम मांग करते हैं कि अधिनियम में उपलब्ध सीमा की समीक्षा केवल बोनस की गणना तथा पात्रता के लिए वेतन सीमाओं के मामले में की जाए बल्कि बोनस की न्यूनतम तथा अधिकतम दरों और रोजगार दहलीज को भी इसके अन्तर्गत लाया जाए।

एसएनसीएल की ओर से की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

हम यह सिफारिश भी करते हैं कि बोनस गणना तथा पात्रता का निर्धारण करने के लिए दो वेतनों की सीमाओं के मौजूदा व्यवस्था का समुचित तौर पर विस्तार करके 7500 रुपए तथा 3500 रुपए किया जाए। इसके अनुसार बोनस की गणना और पात्रता का निर्धारण किया जाए। (पैरा 6.113)

इस पर तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। विशेष तौर पर उस समय जब एसएनसीएल की रिपोर्ट पेश की जा रही है।

एसएनसीएल की रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है: ''वेतन सीमा के अनुसार ही कुछ नियमों अथवा कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। वेतन सीमाएं भी एक समान नहीं हैं। ईएसआइ अधिनियम तथा ईपीएफ अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो 6500 रुपए से अधिक प्रति मास वेतन नहीं लेते।

याद रहे, एसएनसीएल ने बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता की सीमा बढ़ा कर 7500 रुपए करने की सिफारिश की थी। उस समय जबकि ईएसआइ अधिनियम तथा ईपीएफ अधिनियम के अन्तर्गत वेतन सीमा केवल 6500 रुपए होती थी। ईएसआइ अधिनियम के अन्तर्गत दो बार वेतन सीमा बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार यह सीमा बढ़ा कर 7500 रुपए तथा दूसरी बार 10,000 रुपए की गई थी। हमारा सुझाव है कि एसएनसीएल की सिफारिश के अनुसार पात्रता के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण 7500 रुपए ही किया जाए जो ख़ुद एसएनसीएल की सिफारिश के अनुरूप है।

एसएनसीएल की रिपोर्ट में की गई सिफारिश का एक और संदर्भ भी है, ''सामाजिक सुरक्षा पर कामकाजी दल ने वेतन सीमा और रोजगार दहलीज को एक समान रखने की सिफारिश की है। उसके अनुसार इसे एक समान रखा जा सकता है। उसके साथ वेतन सीमा बढ़ाने और रोजगार दहलीज के वक्त के साथ समाप्त होने एवं कम होने तथा अंत में उसके पूरी तरह समाप्त हो जाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। आयोग ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है।'' (पैरा 8.93)

विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत 'उच्च वेतन' पाने वाले कर्मचारियों को 'कामगार' के रूप में उपलब्ध लाभ हासिल करने से रोकने के प्रश्न पर भी एसएनसीएल ने की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, ''इसका एक और विकल्प यह है कि सरकार मौजूदा संदर्भ में काफी अधिक पारिश्रमिक के मामले में कट–आफ सीमा निश्चित कर दे जैसे 25,000 रुपए प्रति मास; इससे अधिक वेतन होने पर कर्मचारी को एक साधारण ''कामगार'' नहीं माना जाएगा। (पैरा 6. 19)

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए; इस बुनियादी रुख के लिए किसी तरह के पूर्वाग्रह का शिकार हुए बिना हम मांग करते हैं कि बैठक में उभरने वाले विचारों को देखते हुए इस प्रस्ताव को जिस रूप में कार्यसूची में रखा गया है, उसमें पर्याप्त संशोधन किया जाए।

इसके अलावा, हम अधोलिखित बिन्दुओं पर विचार करने की मांग करते हैं:

I. बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 32 के उप–धारा (vii) में सेवायोजकों और कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान रखा गया था कि वे बोनस के प्रश्न पर अधिनियम में निर्धारित फार्मूले से हट कर भी समझौता कर सकते हैं। 1980 के संशोधित अधिनियम द्वारा इस उप–धारा को निकाल दिया गया है। हम मांग करते हैं कि इस उप–धारा (vii) को अधिनियम में फिर से बहाल किया जाए।

II. बोनस भुगतान अधिनियम को उत्पादन अथवा उत्पादकता के साथ जोड़ने के मामले में अधिनियम की धारा 31ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस धारा के दूसरे प्रावधान को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए:

"बशर्ते कि इस तरह के कर्मचारी उनकी ओर से सम्बन्धित लेखा वर्ष में अर्जित वेतन अथवा पारिश्रमिक के बीस प्रतिशत भाग से अधिक इस तरह का बोनस पाने के पात्र नहीं होने चाहिएं।"

क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत बोनस का भुगतान उत्पादन/उत्पादकता पर आधारित होता है, इसलिए उन पर लगाई गई 20 प्रतिशत की सीमा उस समय भी बनी रहती है जब उनके उपक्रम अथवा उद्यम बहुत लाभ कमा रहे होते हैं, यह सरासर गलत है; यह प्रावधान समाप्त किया जाना चाहिए।

III. बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 2 (13) को धारा 8 के साथ मिला कर पढ़ें। इसके अन्तर्गत एक उपक्रम अथवा उद्यम में काम करने वाला अस्थायी श्रमिक और उसका काम 30 दिन से कम नहीं होता, बोनस हासिल करने का हकदार है। अधिनिंयम की धारा 2 (13) में 'कर्मचारी' की व्यापक परिभाषा दी गई है किन्तु इस पर भी प्रशिक्षुओं जिन्हें विशेष तौर पर इससे बाहर रखा गया है, को छोड़ कर दूसरे अस्थायी कर्मचारियों – जैसे संविदा श्रमिक इत्यादि को बोनस का लाभ नहीं दिया जाता। मौजूदा कामकाजी वातावरण में संविदा रोजगार बहुत फैला हुआ है और एक विशाल श्रम शक्ति कई तरह के अनुबंधों के अन्तर्गत काम करती है; इस श्रम शक्ति को भी अस्थायी श्रमिकों की भांति बोनस का पात्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

आइटम III : संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

कार्यसूची के शुरू में देश में संविदा श्रमिकों अर्थात ठेका मजदूरों की हालत पर प्रकाश डाला गया है। उसमें कहा गया है, "इस श्रमिकों की संख्या दसियों लाख है और आम तौर पर ये श्रमिक असंगठित क्षेत्र के साथ सम्बन्ध रखते हैं। उनके पास सौदेबाजी करने की ताकत बहुत कम होती है; सामाजिक सुरक्षा के लाभ उन्हें बहुत कम अथवा बिलकुल नहीं मिलते। वे प्रायः खतरे वाले काम–धंधों में लगे होते हैं और अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को संकट में डाल कर ये लोग काम करते हैं। उन्हें अकसर न्यूनतम वेतन नहीं दिए जाते और रोजगार की सुरक्षा भी न के बराबर होती है।"

उपरोक्त वक्तव्य अपने आप में इस तथ्य को उजागर करता है कि अधिकांश कामकाजी स्थलों में सेवायोजक तथा श्रम कानून लागू करने वाले अधिकारी बेरहमी से संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन), 1970 अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और उन्हें दण्ड का कोई भय नहीं होता। सरकारें इस मामले में मूक दर्शक बनी रहती हैं। जमीनी सच्चाई तो यह है कि सरकारी विभाग तथा अभिकरण (एजेंसियां) खुद ही राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों अर्थात् दोनों स्तरों पर संविदा श्रमिकों के सबसे बड़े नियोक्ता होते हैं; जहां संविदा श्रमिकों को अधिनियम के कानूनी प्रावधान देख कर काम पर नहीं रखा जाता। कानून की संरक्षक सरकारें ही सबसे बड़ी उल्लंघन कर्ता होती हैं और वे दूसरे क्षेत्रों में भी इस कानून को तोड़ने वाले लोगों की पीठ थपथपाती हैं। कार्यसूची के नोट का आरम्भ इस बात की स्वीकारोक्ति से होना चाहिए और इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, इसके कारण बताए जाने चाहिएं जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कानून की पुस्तिका में अधिनियम दर्ज होने पर भी यह हालत पैदा हुई है।

दूसरे, "अधिनियम के प्रावधान तथा मौजूदा स्थिति" की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कार्यसूची के नोट में अधिनियम के अधिकांश निर्णायक पहलुओं का उल्लेख जानबूझ कर नहीं किया गया। सार रूप में अधिनियम की जीवन रेखा 'तिहरे रोजगार सम्बन्धों' और प्रधान नियोक्ता जो संविदा श्रम से मिलने वाले लाभों को अंतिम रूप से ग्रहण करता है, की भूमिका एवं जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। ये अधिनियम की धारा 10, 20, 21, 29 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए केन्द्रीय नियमों के चैप्टर v में दर्ज धाराओं 25 (v), 72, 73, 74, 81, 82 तथा 83 के साथ सम्बन्ध रखती हैं।

इस अधिनियम को लागू किए जाने की स्थिति के बारे में कार्यसूची के नोट में एक साधारण–सा वक्तव्य देकर जमीनी स्तर पर व्याप्त चौंका देने वाली स्थिति से पल्लू छुड़ा लेने की कोशिश की गई है, *कानून के उल्लंघन की अनेक शिकायतों की जांच की जा रही है और कानून के प्रावधानों के अनुसार इन शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही हैकृकृ"* इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की कुल संख्या में से

कितनी शिकायतों एवं अनियमितताओं के लिए दण्ड दिया गया अथवा कार्रवाई की गई उनकी संख्या अनुलग्निका में दर्ज तालिका में दी गई है। उससे पता चल जाता है कि इस तरह की शिकायतों एवं अनियमितताओं की संख्या बहुत विशाल है, किन्तु कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र ने उनके छोटे भाग को भी छुआ तक नहीं है। कार्यसूची के साथ संलग्न आंकड़ों सम्बन्धी तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2005–06 में लायसेंस धारकों के अन्तर्गत काम करने वाले संविदा श्रमिकों की संख्या केवल 9.715 लाख है जबकि 2002–03 में उनकी संख्या 13.27 लाख थी। इन आंकड़ों के विपरीत संविदा श्रमिकों अथवा ठेका मजदूरों की असल संख्या और वह भी कुछ इने–गिने क्षेत्रों में इससे कहीं अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे देश के लगभग 4.80 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। उनमें से केवल 66 लाख संगठित क्षेत्र में हैं और शेष 4.14 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं। इसका अर्थ यह है कि 4.5 करोड़ से अधिक ठेका मजदूर अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। इसी तरह खनन एवं उत्खनन में काम करने वाली 23 लाख की श्रम शक्ति में असंगठित क्षेत्र के रोजगार का भाग 13 लाख है– ये सभी श्रमिक विभिन्न ठेकेदारों तथा छोटे–ठेकेदार के पास काम करते हैं। निर्माण सेक्टर एक और ऐसा क्षेत्र है जहां असंगठित क्षेत्र नियमित रोजगार के सेक्टर से दस गुणा अधिक बड़ा है ओर लगभग 1.65 करोड़ श्रमिक इस क्षेत्र में काम करते हैं। एक बार फिर कहेंगे कि ये श्रमिक विभिन्न ठेकेदारों और असंख्य छोटे–मोटे ठेकेदारों के पास काम करते हैं।

इसमें सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में काम करने वाली संविदा श्रम शक्ति इससे अलग है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में भी केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर कुल श्रम शक्ति में संविदा/अस्थायी श्रम शक्ति का अनुपात पहले ही 50 प्रतिशत के अनुपात से अधिक हो चुका है। अधिकांश मामलों में संविदा/अस्थायी बुनियादी परिचालन से जुड़े कामों के लिए भर्ती किया जाता है। पेट्रोलियम सेक्टर के मामले में कुल श्रम शक्ति में लगभग 70 प्रतिशत भाग संविदा श्रमिकों का है। कोयला एक और सेक्टर है जहां संविदा श्रमिकों की बहुत विशाल संख्या काम करती है; उनका काम माल की ढुलाई, माल उतारने तथा लोड करने और दूसरे अनेक तरह के कामों से जुड़ा होता है; अस्सी के दशक के मध्य से ही उत्पादन के बुनियादी कामों के लिए संविदा श्रमिकों को भर्ती किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था विशेष तौर पर ओपन कास्ट माइन्स में। इन संविदा श्रमिकों को अधिकांशतया उत्पादन के नियमित कामों में लगाया जाता है; इन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है और वही काम करने वाले नियमित श्रमिकों की तुलना में उनका पारिश्रमिक दसवें हिस्से से भी कम होता है। उन सेक्टरों में भी जहां उत्पादन की प्रक्रिया अत्यंत आधुनिक, परिष्कृत एवं संवेदनशील होती है, संविदा श्रमिकों को अधिक से अधिक रखा जा रहा है और वे उसी शाप फ्लोर पर काम करते दिखाई देते हैं जहां स्थायी श्रमिक काम करते हैं। इस तरह संविदा श्रमिकों को काम पर रखे जाने के बहुसंख्य मामले गैर कानूनी होते हैं और अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन करके उन्हें काम पर रखा जाता है क्योंकि वे सभी स्थायी अथवा स्थायी प्रकृति के कामों के लिए भर्ती किए जाते हैं।

उपरोक्त स्थिति स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि संविदा श्रमिकों का केवल बहुत छोटा हिस्सा ही लायसेंस धारक ठेकेदारों के अन्तर्गत काम करता है और उनकी विशाल बहुसंख्या कानूनी जांच तथा इंस्पेक्शन की सीमाओं के बाहर काम करता है जहां कानून का उल्लंघन नित्य प्रतिदिन का सामान्य घटनाक्रम बन चुका है।

श्रम शक्ति का अत्यंत व्यापक स्तर पर संविदाकरण तथा अस्थायीकरण हो रहा है। इसके चलते उत्पादन की कुल लागत में श्रमिकों पर होने वाला खर्च लगातार तेजी से कम हो रहा है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट के अनुसार श्रम लागत 1999–00 में उत्पादन की कुल लागत का 7.84 प्रतिशत भाग थी जो 2003–04 में कम होकर 6.82 प्रतिशत रह गई। एएसआइ सर्वेक्षण में यह रहस्योद्घाटन भी किया गया है कि संविदा श्रमिकों का अनुपातिक दैनिक वेतन पूरे देश में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों को मिलने वाले दैनिक वेतन की तुलना बहुत कम है अर्थात् उनके वेतन का लगभग 65 प्रतिशत है। इससे पता चल जाता है कि हमारे देश के औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति कितनी शोचनीय है।

न्व–उदारीकरण की नीतियों का दौर शुरू होने के बाद संविदा श्रम प्रणाली में भी जबरदस्त तबदीली आई है – संविदा श्रम के ढांचे तथा संरचना दोनों ही स्तरों पर। आउटसोर्सिंग/आफलोडिंग/जाब कंट्रैक्ट तथा इस तरह के दूसरे अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत संविदा श्रमिकों को बेहद खराब कामकाजी स्थितियों में काम करने के लिए रखा जाता है; उनके वेतनों पर बुरा असर पड़ता है; उनका रोजगार लगातार बना नहीं रहता और कामकाजी स्थलों

उपरोक्त सुझाव अधिनियम में तत्काल जरूरी बदलाव लाने के लिए हुए त्रिपक्षीय विचार विमर्श के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं जिसका उद्देश्य मूल कानून के अधोलिखित लक्ष्यों का हासिल करना है:

''संविदा श्रम की व्यवस्था का अनेक तरह से दुरुपयोग होता है। इसे समाप्त करने का प्रश्न लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग ने विशेष सिफारिशें की थीं। उसने कहा था कि संविदा श्रम की समस्या किस सीमा तक व्याप्त है इसका अध्ययन कराया जाना चाहिए, इस व्यवस्था को धीरे–धीरे समाप्त किया जाए और जहां इस व्यवस्था को समाप्त करना सम्भव नहीं है वहां संविदा श्रमिकों की सेवा स्थितियों में सुधार लाया जाए। इस मामले पर त्रिपक्षीय समितियों की विभिन्न बैठकों में विचार किया गया; उन बैठकों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था और यह सामान्य सर्वसम्मत विचार बना था कि जहां कहीं सम्भव और व्यवहारिक है वहां इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और उन मामलों में जहां इसे समाप्त किया ही नहीं जा सकता वहां संविदा श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों को नियमित किया जाए ताकि उनके लिए वेतनों के भुगतान तथा दूसरी अनिवार्य सुविधाओं के प्रावधानों पर अमल को यकीनी बनाया जा सके।''

आइटम IV : युवाओं की रोजगार परकता को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम

भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें तथा 40वें सत्रों में रोजगार का सश्जन करने के प्रश्न पर विचार किया गया था; इसके अलग–अलग शीर्षक थे जैसे ''भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमण्डलीयकरण का प्रभाव, विशेष तौर पर रोजगार पर और इसकी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए,'' इस पर 38 वें सत्र में विचार किया गया था और ''रोजगार सृजन, रोजगार संरक्षण तथा कामकाजी मेधा को बढ़ाना,'' इस पर 40 वें सत्र में विचार किया गया था। इस बार कार्यसूची केवल ''युवाओं में रोजगार परकता'' तक सीमित रही थी। उसमें इस तथ्य की अनदेखी कर दी गई थी कि श्रमिकों की बढ़ी संख्या कामबंदियों, तालाबंदियों, डाउनसाईज़िंग, छंटनियों इत्यादि के कारण अपना रोजगार खो रही है और उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की अत्यावश्यकता है। इसके अलावा, आइएलसी के उन दोनों सत्रों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। कार्यसूची को केवल युवाओं की रोजगार परकता तक ही सीमित रख कर लगता है कि सरकार ने जानबूझ कर हजारों–हजार श्रमिकों की पीड़ाओं एवं मुसीबतों की अनदेखी कर डाली है। ये युवा पहले रोजगार पर थे और वर्तमान में जिस तरह का ''रोजगारविहीन विकास'' का माडल अपना कर आर्थिक प्रगति की जा रही है उसके दुष्परिणामस्वरूप वे रोजगार विहीन बन चुके हैं।

कार्यसूची के नोट में विचार व्यक्त किया गया है कि लगभग 13 करोड़ श्रमिक ''काम करने वाले गरीब'' हैं। वे अपने परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने में समर्थ नहीं हैं। इसमें उस स्थिति का उल्लेख किया गया है जिसमें लोगों की बाध्यताएं उन्हें जीवित रहने के लिए काम करने पर मजबूर करती हैं; इसे किसी भी तरह ''गुणवत्ता वाला काम'' अथवा ''गरिमापूर्ण काम'' कहा नहीं जा सकता; किन्तु वह (कार्यसूची का नोट) इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों ने उनकी हालत बद से बदतर बना दी है। यही हालत है जिसमें उन्हें वे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो गरिमापूर्ण अथवा गुणवत्ता वाले नहीं हैं।

हमारे देश में व्याप्त बेरोजगारी की क्या स्थिति है और मौजूदा संदर्भ में इस समस्या के साथ कैसे निपटा जा सकता है, सीआइटीयू इस पर अपना आंकलन संक्षेप में पेश करता है।

हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अब इस तथ्य से कायल हो रहा है कि विकास अकेले तौर पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराता और न करा सकता है। यद्यपि भारत बेहतर आर्थिक विकास दर हासिल कर रहा है, इससे उत्साहित होकर वित्त मंत्री महोदय ने बड़े स्नेह के साथ 10 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने का सपना संजो रखा है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों – पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में – बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और यह एक तथ्य है। शहरी संगठित क्षेत्र में पहले से काम पर लगे श्रमिक बढ़ते संविदाकरण, अस्थायी करण, छंटनियों, कामबंदियों, आउटसोर्सिंग, तालाबंदियों, डाउनसाईज़िंग, विलीनीकरण एवं अधिग्रहण इत्यादि के चलते अपना नियमित रोजगार गंवा रहे हैं और वे अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की फौज में भर्ती होते चले जा रहे हैं।

कृषि अब भी पहले स्थान पर बनी हुई है और वह हमारे देश में रोजगार उपलब्ध करा रही है। सरकार कृषि के नैगमकरण, मशीनीकरण को उत्साहित कर रही है; खाद्यान्नों की फसलों के स्थान पर वाणिज्यक फसलों की काश्त शुरू करके कृषि क्षेत्र के ढांचे को बदला जा रहा है। हमारे किसान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और सट्टा बाजार की पूंजी के जाल मैं फंसते चले जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है और देश के विभिन्न भागों में लगभग 2 लाख किसान आत्म हत्याएं कर चुके हैं। कृषि संकट गांवों के गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों को काम की तलाश में पलायन करके शहरों में आने के लिए मजबूर कर रहा है। रोजगार की तलाश में महिलाओं की बड़ी संख्या भी पलायन कर रही है। शहरों के अनौपचारिक क्षेत्र में पहले ही बेरोजगारों की विशाल भीड़ जमा है जिसके कारण अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के वेतनों में और गिरावट आ रही है।

अनौपचारिक क्षेत्र जहां न रोजगार की सुरक्षा है, न सामाजिक सुरक्षा और न वेतन की सुरक्षा है, तेजी से फैल रहा है जबकि संगठित क्षेत्र सिकुड़ता चला जा रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित होने की इजाजत नहीं दी जाती; उनके पास सौदेबाजी की ताकत भी नहीं है। यही कारण है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक गरीब रहते हैं और खुद श्रमिक ही गरीब रहना चाहते हैं, यह बात नहीं है। इसलिए उनकी रोजगार परकता को बढ़ाने में सबसे पहले जिस चीज से सहायता मिल सकती है वह है – उदारीकरण की इन नीतियों को बदल डालना। पिछले कुछ वर्षो से विकास का बहुत शोर मचाया जा रहा है। यह विकास पूंजी की सघनता वाले उद्योगों में हो रहा है श्रमिकों की सघनता वाले उद्योगों में नहीं। प्रौद्योगिकी में बदलाव, उसे औद्योगिक क्षेत्र में लागू करने का परिणाम श्रमिकों के विस्थापन के रूप में निकल रहा है और औद्योगिक इकाईयों में श्रमिकों की मांग कम हो रही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि श्रमिकों में कामकाजी मेधा का अभाव होना ही उनके रोजगार गंवाने का प्रधान कारण नहीं है। केवल कामकाजी मेधा के विकास पर निर्भर करने से उन्हें बेहतर रोजगार हासिल करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी अथवा इससे युवाओं में रोजगार परकता में सुधार नहीं होगा अथवा पूर्व श्रमिक रोजगार मांगने वाले लोगों की कतार में शामिल नहीं हो जाएंगे।

रोजगार अवसरों का न होना और उसके साथ सुनिश्चित गरिमापूर्ण वेतन तथा कामकाजी स्थितियों न होने के कारण बेरोजगार और यहां तक कि अत्यंत कुशल – विशेष रूप से वे लोग जो गरीब तथा निम्न मध्यम श्रेणी के परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं, जो भी काम मिलता है उसे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। औद्योगिक भूमण्डलीयकरण ने जलती में घी का काम किया है। "निवश" को आकर्षित करने के लिए विकासशील देशों में एक अस्वस्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया है। इस चक्कर में श्रमिकों के रोजगार तथा कामकाजी स्थितियों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उत्पादन की लागत को कम किया जा सके और उनके मुनाफों में न केवल बढ़ोतरी हो बल्कि वे सुरक्षित रहें। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इसके कटु अनुभवों को महसूस किया जा रहा है। साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों पर आंख मूंद कर बेरोक टोक अमल हो रहा है।

मेधा विकास के बारे में अलग से कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। किन्तु केवल इस तरह का कदम उठाना ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी नहीं है। श्रम बाजार प्रशिक्षित युवाओं को खपा पाने में कितना सक्षम है; यही प्रधान प्रश्न है। कुशल श्रमिकों अथवा युवाओं के रोज़गार के अवसरों के अभाव में केवल प्रशिक्षण और मेधा विकास करके रोजगार परकता को बढ़ाया नहीं जा सकता। वास्तव में, रोजगार अवसरों का अभाव होने के कारण अत्यंत कुशल और शिक्षित लोगों को छोटे–मोटे काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

इसलिए, मौजूदा आर्थिक नीतियों की दिशा जो श्रमिकों की कीमत पर नैगम घरानों और बड़े सेवायोजकों को लाभ पहुंचाती है और जिनके दुष्परिणाम स्वरूप रोजगार की क्षति होती है तथा रोजगार के अवसरों में गिरावट आती है, को बदलने की जरूरत है। यह काम जन पक्षीय नीतियों जो रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकें और गरिमापूर्ण कामकाजी स्थितियों को यकीनी बना सकें, को अपनाए जाने से ही हो सकता है।

किन्तु मौजूदा नीतिगत सत्ता के मूल ढांचे में भी नीतिगत सत्ता को चाहिए कि जहां कहीं भी नयी मशीनरी अथवा प्रौद्योगिकी लाई जाए वहां पर वह मौजूदा श्रमिकों की मेधाओं के विकास पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करे। नीतियों में रोजगार के सृजन पर जोर दिया जाना चाहिए और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के नाम पर संदेह जनक बहाना बना कर "हॉयर एण्ड फॉयर" की नीति शुरू करके यह काम नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में आइटीआइज़ हमारे देश में बहुत कम मेधाओं का विकास कर रही हैं। व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकीय विकास की इस मौजूदा स्थिति में ये कुछेक मेधाएं गरिमापूर्ण काम ढूंढने में युवाओं की सहायता नहीं करतीं। चीन की भांति युवाओं में मेधाओं का विकास करने और मेधाओं की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। इससे रोजगार परकता में सुधार होगा।

जब कभी भी नयी प्रौद्योगिकी लागू की जाती है, मौजूदा श्रमिकों को उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे काम करने में समर्थ हो सकें।

महिलाएं अधिकतर अकुशल श्रमिकों वाले कामों में लगी होती हैं। जब कभी भी संस्थान में नयी मशीन लाई जाती है तब केवल पुरुषों को ही उस पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अनेक बार इस हालत में महिलाओं को काम छोड़ कर चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह जरूरी है कि महिलाओं को मशीन पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें काम पर बनाए रखा जाए।

महिलाओं में मेधा के विकास हेतु उन्हें आम तौर पर साबुन बनाने, मोम बत्तियां बनाने, वस्त्रों की सिलाई, आचार, फलों के जूस एवं जैम तैयार करने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए इनका उत्पादन करना और बाजार में बेचना बेहद कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी है क्योंकि वहां उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर होना पड़ा है जो वे कर नहीं सकतीं। उन्हें इस तरह के कामों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिनके बल पर वे उत्पादन कर सकें और अपने तैयार किए गए उत्पादों को अपने आस–पास के इलाके में बेच सकें। उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण और उचित दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहिए।

हमारे देश में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। कार्यसूची के नोट में दर्ज किया गया है कि पहली कक्षा में दाखिल होने वाले कुल 17.50 करोड़ बच्चों में 9.60 करोड़ अर्थात् आधे से अधिक बच्चे सातवीं श्रेणी और 1.20 करोड़ बच्चे दसवीं कक्षा में पहुंचते–पहुंचते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों की उच्च दर को कम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अंदरूनी ढांचे में सुधार लाना होगा; उन्हें दोपहर के समय खाना उपलब्ध कराना होगा; स्कूलों में लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू करनी होगी। आइटीआइ में प्रवेश के लिए दसवीं कक्षा को कसौटी मान कर बड़ी संख्या में छात्रों की मेधाओं का विकास किया जा सकता है।

हमारे देश में मेधा विकास के लिए आइटीआइ एवं आइटीसीज़ की कुल क्षमता काफी नहीं है। जहां हर वर्ष 12. 80 करोड़ लोग श्रम बाजार में दाखिल होते हैं वहां पूरे देश में आइटीआइज़ एवं आइटीसीज़ की कुल क्षमता 7. 73 लाख है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।

औद्योगिक श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु 1–12 सप्ताह के अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए गए; यह काफी नहीं है; इन संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण की पूरी अवधि में सवेतन अवकाश प्रदान करने के साथ दूसरे सेवा लाभ भी दिए जाने चाहिएं।

श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी राज्य को उठानी चाहिए। सार्वजनिक–निजी भागीदारी युवाओं के और अधिक शोषण का रास्ता ही साफ करेगी। प्रशिक्षण देने वाली कम्पनी की ओर से प्रशिक्षण देने के नाम पर उनसे मुफ्त काम लिया जाएगा और उन्हें अपनी श्रम शक्ति में शामिल कर लेने के बाद उनका फिर से शोषण किया जाने लगेगा। मेधा विकास का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ कराना हो न कि उद्योगपतियों की जरूरतों को पूरा करना।

सरकार को इसके लिए बजट आबंटन बढ़ा कर युवाओं के मेधा विकास में सहायता करनी चाहिए; उद्योगपतियों को कहा जाए कि वे अपने यहां श्रमिकों को काम का प्रशिक्षण दें। सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक आइटीआइज़ की स्थापना करे।